खण्ड-262, अंक-2
शुक्रवार, 8 माघ, शक संवत् 1887
(28 जनवरी, 1966 ई0)

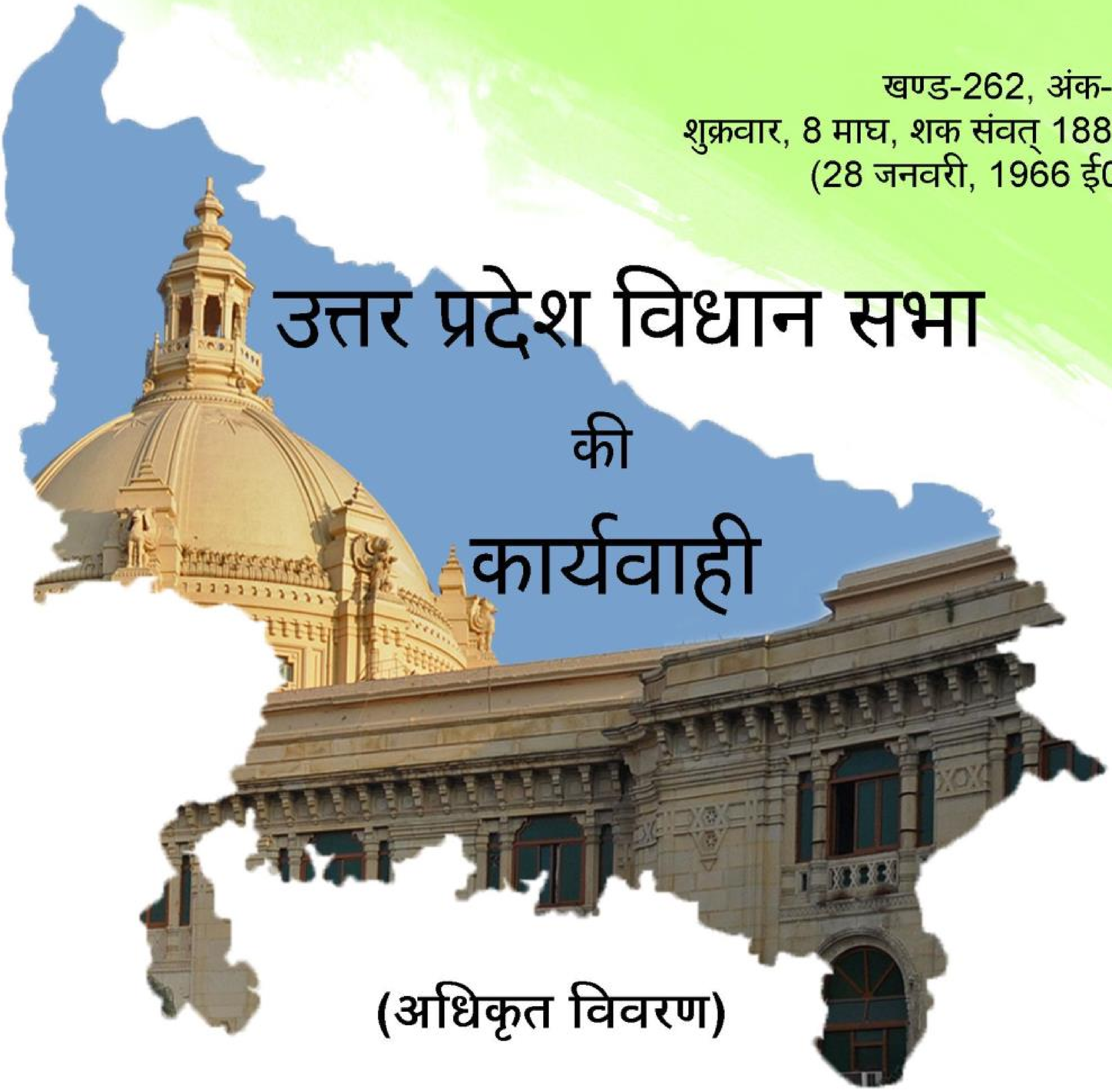

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 262 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२७–३१
प्रश्नोत्तर	३१–५५
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश का श्री उपाध्यक्ष द्वारा पाठ ..	५६
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६५ (मेज पर रखा गया)	५६
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९६५ (मेज पर रखा गया)	५६
उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ (मेज पर रखा गया)	५६
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ (मेज पर रखा गया)	५६
हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) अध्यादेश, १९६५ (मेज पर रखा गया)	५७
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ (मेज पर रखा गया)	५७
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (समितियों का निर्माण) संशोधन नियमावली, १९६५ तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६५ (मेज पर रखी) गयीं	५७
राजस्व विभाग की विज्ञप्ति के अधीन प्रख्यापित आदेश (मेज पर रखे गये)	५७
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६५ (मेज पर रखी गई)	५७
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, १९६५ (मेज पर रखी गयीं	५८
उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) नियमावली, १९६५ (मेज पर रखी गयी)	५८
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६५ (मेज पर रखी गयी)	५८
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (पंचम संशोधन) नियम, १९६५ (मेज पर रखे गये)	५८
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार नियम, १९६५ (मेज पर रखे गये) . ..	५९
लखनऊ तथा इलाहाबाद नगर महापालिकाओं के प्रेक्षागृहों पर कर नियमावली (मेज पर रखी गयी)	५९
वाराणसी, आगरा तथा कानपुर नगर महापालिकाओं के प्रेक्षागृहों पर कर नियमावली (मेज पर रखी गयी)	५९
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी नियमावली, १९६५ (मेज पर रखी गयी)	५९
उत्तर प्रदेश, नगर महापालिका विकास योजनाएं तथा महायोजनाएं नियमावली, १९६५ (मेज पर रखी गयी)	६०
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३–क के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्तियां (मेज पर रखी गयी)	६०

विषय	पृष्ठ-संख्या
आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ नगरों के भीतर स्थित अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली (मेज पर रखी गयी)	६०–६१
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	६१
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६५ और वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे १९६३–६४ (मेज पर रखे गये)	६१
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची (मेज पर रखी गयी) ..	६१
उत्तर प्रदेश इन्टरटेन्मेन्ट्स एन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची (मेज पर रखी गयी)	६२
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची (मेज पर रखी गयी) ..	६२
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची (मेज पर रखी गयी)	६२
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपतिक अधिभार विधेयक, १९६५ में में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची (मेज पर रखी गयी)	६२
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६३
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६३
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ की बढ़ोत्तरी क विनियमन) विधेयक, १९६५ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६३
उत्तर प्रदेश इन्टस्टेनमेन्ट्स ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६३
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६४
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार आजीविका और सेवा योजना कर विधेयक, १९६५ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६४
उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६४
इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	६४
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी) विधेयक, (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	६५
उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	६५
उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	६५

विषय

पृष्ठ-संख्या

उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं, संरक्षण विधेयक, १९६५ पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ६५

प्रदेश की नगर महापालिमाओं को भंग करने संबंधी सरकारी घोषणा के विषय पर कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. ६५–७१

प्रदेश में छात्र असन्तोष के संबंध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ७१

अनावर्षण से फसलों के नष्ट हो जाने पर भी रबी लगान वसूल करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) .. ७१–७३

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की अन्य सूचनायें ७३

नदौता ग्राम में बारातियों का डाकुओं द्वारा अपहरण और हत्या के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ७३–७४

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें ७४–७६

अधिष्ठाता मंडल के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा ७६

सदन द्वारा पारित भारतीय सैनिकों की सराहना संबंधी संकल्प के संबंध में जनरल चौधरी तथा प्रधान मंत्री से प्राप्त पत्रों के बारे में सूचना ७६

इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. ७७

लखनऊ यूनीवर्सिटी कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. ७७

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. ७७–७८

उत्तर प्रदेश पशु रोग विधेयक, १९६५ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये १ सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ७८

बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ७८

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ (पुरः स्थापित किया गया) । ७९

उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजुकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ (पुरःस्थापित किया गया) ७९

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, (उप कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६ (पुरःस्थापित किया गया) ७९–८०

नत्थियां ८१–९९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २८ जनवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३७३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
कुमार करुण कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री

पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री

रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणमिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायण राय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री

श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २८ जनवरी, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलम्ब

**१—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती), श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद), श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिये नियुक्त वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने अप्रैल, १९६५ से वेतन वृद्धि देना स्वीकार कर लिया था परन्तु उसको लागू करने के संबंध में अभी तक जी० ओ० न प्रसारित करने का क्या कारण है ?

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

यह सही है कि सरकार ने वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों को सामान्यतः स्वीकार करते हुए प्रस्तावित वेतन मानों को १ अप्रैल, १९६५ से लागू करने का निर्णय लिया था और तदनुसार सरकारी आदेश भी दिनांक २९ जुलाई, १९६५ को प्रसारित किये जा चुके हैं। चूंकि प्रस्तावित वेतन मानों में कतिपय असंगतियां ज्ञात हुईं, अतः उन पर विचार करने के लिये मंत्रि परिषद् की उप समिति का गठन किया गया। ऐसी आशा की जाती है कि उक्त समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी जिस पर निर्णय होने के पश्चात् समुचित विभागों से वेतन मानों को लागू किये जाने विषयक आदेश प्रसारित किये जा सकेंगे।

**२—श्री सोहनलाल धुसिया, श्री रियासत हुसैन, श्री उग्रसेन तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार वर्तमान महंगाई को तथा भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को हाल में दी गई वेतन वृद्धि को देखते हुए प्रदेशीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

वर्तमान मंहगाई को ध्यान में रखते हुए प्रदेशीय सरकार ने अपने कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन मान, नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अन्य सुविधायें देने का निश्चय किया है। इनमें से कुछ सुविधाओं को देने के आदेश तो प्रसारित हो चुके हैं और शेष आदेश भी शीघ्र ही प्रसारित हो जायेंगे। जहां तक भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को हाल में दी गई वेतन वृद्धि का प्रश्न है, ऐसी कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट जिसे स्वीकार कर लिया गया था, उसके लिये सम्भवतः १४ या १५ करोड़ रुपये का प्राविजन किया गया था और उसके लैप्स होने का अवसर आ गया है। एक समिति जो सरकार ने बैठाई थी असंगतियों के निवारण के लिये उसकी मीटिंग तक नहीं हो सकी, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन विभागों में असंगतियां नहीं थीं उनमें वितरण के लिये आज तक क्या उपाय किया गया और रुपया लैप्स न होने पावे इसके लिये क्या किया गया और यह रुपया कर्मचारियों को कब तक मिल जावेगा ?

श्री जयराम वर्मा—

यह तो आदेश एक साथ ही जारी किये जावेंगे, किसी विभाग में कोई असंगति नहीं है तो उसके लिये अलग से तो आदेश जारी नहीं होंगे। सारी असंगतियों को देखने के बाद ही विज्ञप्तियां जारी की जायेंगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मेरे प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं आया कि रुपया लैप्स न होने पावे, इसके लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

यह मैं खुद ही चाहती थी कि इसी महीने में यह काम पूरा हो जावे और इसके लिये बहुत प्रयास भी किये गये। एक कमेटी बैठी हुई है, लेकिन इस महीने में जैसा आप जानते हैं हमारे कामों में कुछ अड़चनें आ गयीं, लेकिन फिर भी ९९ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और तुरन्त ही उसकी पूरी रिपोर्ट हम लोगों के पास आ जावेगी और जैसे ही मिल जावेगी, निर्णय लेकर आर्डर्स जारी हो जावेंगे। लैप्स होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोहनलाल धुसिया—

माननीय मुख्य मंत्री ने अभी बताया कि ९९ प्रतिशत काम हो चुका है। क्या हम आशा कर सकते हैं कि १ प्रतिशत जो काम है वह शीघ्र समाप्त हो जायगा, जिससे इसी फाइनेंशल ईयर में इन लोगों को रुपया मिल जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बात को देखते हुए कि एक ही स्थान पर रहने वाले और एक ही महंगाई की स्थिति में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और सूबे की सरकार के कर्मचारी हैं, लेकिन उनके मंहगाई भत्तों और प्राप्तियों में बहुत अन्तर है जिसे वेतन अभिनवीकरण समिति ने हल नहीं किया है ? तो उसको हल करने के लिये सरकार दोनों दरों को एक जगह लाने के लिये कौन-सा कदम उठाना चाहती है या उठा रही है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री जयराम वर्मा—

राज्य सरकार अपने साधनों के अनुसार ही काम करती है। हम यह कह नहीं सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार जिस दर से देती है यह राज्य सरकार उसी दर से देने के लिये किसी हालत में सशक्त हो सकेगी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह मुख्य असंगतियां क्या हैं और क्या उन असंगतियों को छोड़कर जिन लोगों का कोई झगड़ा नहीं है उनको जल्द से जल्द आर्डर जारी करने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

असंगतियों की सूची नहीं बतलाई जा सकती है। इन असंगतियों पर करीब-करीब विचार हो चुका है और वह रिपोर्ट तैयार है। मंत्रिमंडल का निर्णय होने के बाद जल्द ही आदेश जारी हो जायंगे।

श्री उग्रसेन—

क्या छोटे-छोटे कर्मचारी जिनके वेतन में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है और वे छोटे कर्मचारी, चपरासी इस सचिवालय में भी काम करते हैं उन सबके वेतन के बारे में ये असंगतियां थीं या कलेक्टर, कमिश्नर, अनुसचिव, उपसचिवों के लिये थीं ? उन ऊंचे अधिकारियों के लिये यह वेतन लागू कर दिया गया तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री जयराम वर्मा—

यह पुनरीक्षित वेतन अभी किसी के लिये लागू नहीं हुआ है।

श्री उग्रसेन—

क्या कलेक्टर या कमिश्नर के लिये किसी किस्म का भत्ता इधर देने के लिये कोई राज-आज्ञा जारी की गई है ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह केन्द्रीय सरकार की ओर से हुई है।

श्री उग्रसेन—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आई० ए० एस० के लिये कोई भत्ता देने के लिये आज्ञा जारी की गई है, या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

पुनरीक्षित वेतन के संबंध में कोई आज्ञा अभी जारी नहीं हुई है। अलबत्ता नगरों में रहने का भत्ता देने के आदेश जारी किये गये हैं। उसका वेतन समिति के वेतन से कोई संबंध नहीं है।

श्री सोहनलाल धुसिया—

उत्तर में बतलाया गया है कि पहली अप्रैल, १९६५ से देने का निर्णय लिया गया और २९ जुलाई, १९६५ को आदेश भी जारी कर दिये गये थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन असंगतियों का यहां पर वर्णन किया जा रहा है वे असंगतियां किस तारीख के बाद गवर्नमेन्ट के नालेज में आईं ?

श्री जयराम वर्मा—

यहां पर निश्चित तिथि बतलाना तो सम्भव नहीं है। लेकिन उसके पहले भी आ सकती हैं और कुछ बाद में भी आई होंगी।

श्री सोहनलाल धुसिया—

उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का दुख है कि सरकार से इस प्रकार के जवाब की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह यह कहे कि आई होंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि पहली अप्रैल, १९६५ से उसको लागू करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार सरकारी आदेश भी २९ जुलाई, १९६५ को प्रसारित किया जा चुका है। तो अब सवाल यह है कि यह जो असंगति गवर्नमेन्ट के सामने आई वह कब आई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उनकी रिपोर्ट में ही कुछ असंगतियां हैं और उन से जो इम्प्लाइज एफेक्टेड होते थे उन्होंने ही उस तरफ ध्यान आकर्षित किया था। उन के रिप्रेजेन्टेशन पर विचार किया जा रहा है ताकि उनको तकलीफ न हो।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह असंगतियां किस किस विभाग से संबंधित हैं और उनको यह वेतनक्रम १ अप्रैल से ही दिया जायगा या रिपोर्ट के आने के बाद दिया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

दिया जायगा १ अप्रैल से ही और असंगतियां प्रायः सभी विभागों में हैं।

श्री ब्रहदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

प्रश्न दो के उत्तर में कहा गया है कि कर्मचारियों को कुछ सुविधायें देने के आदेश प्रसारित हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मकानों के किराये तथा राशन आदि के सिलसिले में सरकार किन-किन सुविधाओं को देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

सिटी कम्पेंसेटरी भत्ता तथा एक अन्य सुविधा अर्थात् यात्रा तथा दैनिक भत्ता संबंधी आदेश जारी हो चुके हैं। मकान किराया, छुट्टी तथा शिक्षा सहायता आदि संबंधी आदेश लगभग तैयार हैं और वे शीघ्र ही प्रसारित किये जायेंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुए कि इस पे कमेटी ने १९६१ की महंगाई को देखते हुए अपनी रिपोर्ट दी है और आज १९६१ के मुकाबले में महंगाई बहुत अधिक बढ़ गयी है, क्या सरकार पुनः इस पर विचार करेगी कि जो भत्ता दिया जाने वाला है वह कम है और उस में कुछ वृद्धि की जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

पहले तो समिति ने जो सिफारिश की है उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी। अभी और आगे वृद्धि करने का सवाल नहीं है और न उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

जो वृद्धि १ अप्रैल से देय होगी वह नकद दी जायगी अथवा बांड के रूप में दी जायगी ?

श्री जयराम वर्मा—

वह नकद दी जायगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

इस वेतन अभिनवीकरण समिति ने मकान का किराया, राशन आदि की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तथा उस समय की महंगाई को ध्यान में रखते हुए विचार किया था । जब समिति ने रिपोर्ट दी थी उसके बाद से अब तक काफी महंगाई बढ़ चुकी है और कर्मचारियों के अन्दर उसके कारण काफी परेशानी है, इसलिये जो कुछ भी सिफारिश समिति ने की थी, उस में असंगतियों की जांच पड़ताल करके हमारी कैबिनेट की उप समिति ने विचार करने और निर्णय लेने में चार महीने लगा दिये और वह काम अभी पूरा नहीं हो पाया है । इन असंगतियों के संबंध में विभाग के कर्मचारियों ने अपने रिप्रेजेन्टेशन दिये हैं, तो क्या मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि सिफारिशों के अनुसार १४ फरवरी के पहले ही कर्मचारियों को यह पैसा मिल सकेगा और जिनके संबंध में असंगतियां हैं उनकी जांच पड़ताल कर के वह सारा काम १४ फरवरी तक निपटा दिया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मेरा प्रयास यह जरूर रहेगा कि इसी महीने के अन्दर इसको कर दें ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि पे कमेटी की रिपोर्ट अपनी सब कमेटी वगैरह से डिस्कशन के बाद इस हाउस की मेज पर जरूर रखी जायगी, जैसा कि पे कमेटी की रिकमेंडेशन हुई है कि हाउस में उस पर डिस्कशन हो ?

श्री जयराम वर्मा—

पे कमेटी, अभिनवीकरण समिति,की रिपोर्ट तो सदन के सामने रखी जायगी, लेकिन क्या असंगतियां थीं और क्या विचार हुआ वह सब नहीं रखा जायगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐनोमली कमेटी की रिपोर्ट जो सरकार ने कमेटी बनायी थी,वह आ गयी ? यदि आ गयी, तो क्या सदन के समक्ष रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐनोमली कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने रखने का विचार नहीं किया गया है । जो तकलीफ हुई उसको सुधारने के लिये जो सिफारिश की गयी उस पर सोच विचार कर लेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट लागू करने के संबंध में यह भी निर्णय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेन्ट ५५ वर्ष में हो जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया है ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कोई तिथि या साल तय करेगी कि जिसको सारी रिपोर्ट लागू हो जायगी और सारे झगड़े तय हो जायेंगे और गरीबों को पैसा मिलने लगेगा, क्योंकि महंगायी दिनों दिन बढ़ रही है और वेतन अभिनवीकरण समिति का भी मंशा यह था कि वेतन अधिक होना चाहिये ?

श्री जयराम वर्मा—

वह जल्दी ही निर्णय लिया जायगा। यह इसी सेशन में जरूर लागू हो जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जैसा कि सदन में आश्वासन दिया था कि रिपोर्ट सदन में हिन्दी में प्रस्तुत की जायगी और सदन में विचारोपरान्त सरकार उस पर अमल करेगी तो सदन मे प्रस्तुत होकर विचार होने के बाद सरकार की जो आज्ञा प्रसारित होने वाली है उसमें भी वह परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जितने आश्वासन बता रहे हैं मुझे तो इस समय याद नहीं हैं, पढ़ना होगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अभी माननीया मुख्य मंत्री ने कहा कि यह अप्रैल से लागू होगी तो मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि भ्रम निवारणार्थ कृपया बतायें कि यह वेतन वृद्धि किस सन् और किस अप्रैल से लागू करने जा रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

यह निर्णय जल्दी लिये जायेंगे और इस सेशन के अन्तर्गत ही लागू हो जायेंगे और वेतन वृद्धि पहली अप्रैल, १९६५ से मिलेगी।

श्री उग्रसेन—

समिति की रिपोर्ट कब से निकली और लागू करने का एलान २९ जुलाई, १९६५ को दिया गया। तब से आज तक सरकार आश्वासन देती रही है, अभी इलाहाबाद में अपने भाषण में मुख्य मंत्री ने कहा कि १५ तारीख के अन्दर लागू कर देंगे गवर्नमेन्ट प्रेस के मजदूर भी उनसे मिले, मगर अब तक जी० ओ० क्यों नहीं निकाला गया तथा क्या सरकार पहली अप्रैल, १९६५ के बाद से आज तक जो महंगायी बढ़ी है उसके अनुसार कोई अन्तरिम महंगाई भत्ता वह अपने कर्मचारियों को देगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अन्तरिम भत्ते के देने का कोई सवाल अभी नहीं उठता, इसको जल्दी से जल्दी हम दिलवाने की कोशिश करेंगे।

श्री उग्रसेन—

महंगायी के आंकड़ों में ४० अंक की बढ़ोत्तरी हुई है, क्या सरकार उसी के अनुसार उनकी महंगायी बढ़ायेगी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

तारांकित प्रश्न

*१—२—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[सार्वजनिक निर्माण मंत्री की प्रार्थना पर ४ फरवरी, १९६६ के लिये स्थगित किये गये।]

बांसी तहसील में अमलदरामद के मुकदमे

*३—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती की तहसील बांसी में कितने अमल दरामद के मुकदमे तथा बटवारे के मुकदमें का फैसला होने के बाद तीन माह से पड़े हैं ? इनमें विलम्ब का क्या कारण है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

३० दिसम्बर, १९६५ तक की सूचना है कि ऐसा कोई मामला नहीं पड़ा है।

*४—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार ऐसी हिदायत करेगी कि जिससे मुकदमों में नाजायज देर करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिल सके ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न के समय यानी १२ अगस्त तक कितने मामले विचाराधीन थे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

१-१०-६४ से ३१-८-६५ तक कुल ३०२२ मामले फैसले हुये थे जिन पर अमलदरामद होना था। इनमें से २९६७ मामलों में अमलदरामद ३ मास के अन्दर हो गया। केवल ५५ ऐसे थे जिनमें नहीं हो पाया जिनके कारण यह थे—३ मामले उठा लिये गये, ३ खारिज हुये, ५ मामले पैरवी में खारिज हुये, ५ में फाटकबन्दी की कार्यवाही फरीकैन द्वारा करने के कारण दाखिल दफ्तर किये गये, २० मामलों में जनरल स्टाम्प नहीं दाखिल हुये इसलिये कतई डिग्री नहीं बनी, और ८ मामलों में फाटक बन्दी की कार्यवाही हो रही है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ३० सितम्बर के पहले तमाम मामले एक्स पार्टी खारिज किये गये ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यदि माननीय सदस्य किसी केस के बारे में लिख कर देंगे तो जांच करा लेंगे।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार इस बात के स्पष्ट आदेश देगी कि ३ महीने की जो अवधि है उसके भीतर सारे मामले अवश्य निबट जायें ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि पहली सितम्बर को कितने मामले थे और ३० सितम्बर को कितने थे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जांच करके ही आपको उत्तर दिया गया है। कोई केस के बारे में आप लिख कर देंगे तो जांच करा लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बता दीजिये कि कौन-कौन से सवाल हैं उनका जवाब आ जायेगा।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी प्रश्न संख्या ४ के सन्दर्भ में यह बतायेंगे कि तमाम मुकदमे इसलिये डिले किये जाते हैं कि उनमें नाजायज रकम वसूल की जाती है ? क्या वे ऐसी कोई हिदायत जारी करेंगे कि मुकदमे तीन महीने से ज्यादा देर तक न चलायें जांय ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी ये मामलात थे वे तीन महीने के अन्दर ही फैसल हुए। माननीय सदस्य भी एक मुक मे में फरीक थे और बावजूद इसके कि डिपार्टमेन्ट से तकाजा किया गया रसूम दाखिल कर दें तब भी देरी किया उनके मामले को भी तीन ही महीने के अन्दर ठीक कर दिया गया।

आजमगढ़ जिले से छात्रों की सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री दिनांक ६ मार्च, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, आजमगढ़ की रिपोर्ट कब और क्या सरकार को प्राप्त हुयी ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जिला मैजिस्ट्रेट, आजमगढ़ की दिसम्बर, ९, १९६४ तथा फरवरी ३, १९६५ की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने यह सूचित किया कि केवल दो विद्यालयों सर्वोदय इन्टर कालेज, गजियापुर तथा जूनियर हाई स्कूल, दरगाह ने क्रमशः ९४५ रु० तथा १६५ रु० की अतिरिक्त मांग प्रस्तुत की थी। सर्वोदय इन्टर कालेज, गजियापुर की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ और जूनियर हाई स्कूल, दरगाह की मांग १९६२–६३ से संबंधित थी। जिलाधीश ने उक्त मांगों को उचित नहीं माना क्योंकि सर्वोदय इन्टर कालेज, गजियापुर द्वारा मांगी गई धन-राशि उन छात्रों के संबध में थी जो बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में नहीं रहते थे। जूनियर हाई स्कूल, दरगाह की मांग विद्यालय द्वारा बहुत देर से प्रस्तुत की गई थी जबकि आजमगढ़ जिले के लिये निर्धारित धन का वितरण किया जा चुका था।

*६—श्री जुगलकिशोर—

[४ फरवरी, १९६६ के लिये स्थगित किया गया।]

देवी जगदीशपुर जूनियर हाई स्कूल का अनुदान

*७—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम देवी जगदीशपुर, ब्लाक नवाबगंज, जिला उन्नाव के लिये जूनियर हाई स्कूल विद्यालय भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा अनुदान सहायता १,००० रु० स्वीकृत किया गया था ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

प्रश्न में उल्लिखित अनुदान देवी जगदीश पुर के जूनियर हाई स्कूल के लिये नहीं स्वीकृत था अपितु वहां के जूनियर बेसिक विद्यालय के लिये स्वीकृत था।

*८—श्री बसन्तसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त ग्राम देवी जगदीशपुर के जूनियर हाई स्कूल विद्यालय निर्माण के लिये स्वीकृत हुयी धनराशि देवी जगदीशपुर को न देकर जगदीशपुर को गलती से दे दी गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

*९—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न नहीं उठता ।

करौली ग्राम में किसानों के विरुद्ध कार्यवाही

*१०—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज, नगला करोली, जिला बुलन्दशहर, परगना खुर्जा में १,८०० बीघे जमीन को एस० डी० एम०, खर्जा ने किस नियम के आधार पर काश्तकारों को सीरदार करार दे दिया ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

तहसील खुरजा के परगनाधिकारी ने ग्राम करौली के ४० व्यक्तियों के विरुद्ध ४५५ बीघा क्षेत्रफल के संबंध में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १२२-बी के अन्तर्गत कार्यवाही चालू की थी और उसके दौरान में इन व्यक्तियों को सीरदार अंकित करने का आदेश दिया था । बाद में गांव सभा की प्रार्थना पर यह आदेश निरस्त किये जा चुके हैं और काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १२२-बी के अधीन कार्यवाही हो रही है ।

*११—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि यह जमीन किसी भी भूमिहीन किसान को नहीं दी गई और जिन लोगों के पास २०-२०, ४०-४० बीघा जमीन है और उन लोगों को इस ग्राम समाज की जमीन में से २०-२० बीघा जमीन दे दी गई ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

भूमि दी नहीं गयी थी । परगनाधिकारी ने काबिज व्यक्तियों को सीरदार मान लिया था । परन्तु यह आदेश अब रद्द हो चुके हैं ।

*१२—श्री रियासत हुसैन—

क्या एस० डी० एम०, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर को कोई रिप्रेजेन्टेशन कुछ भूमिहीन किसानों ने इस विषय में दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

देवरिया जिले में लगान में छूट

*१३—श्री उग्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६४-६५ में देवरिया जिले में कितने गांव में लगान में छूट दी गई थी ? वह कुल कितनी रकम है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में देवरिया जिले में ९०९ ग्रामों में बाढ़, ओला, शीत एवं पाला के कारण १,८५ ५९३ रुपये ७८ पैसे की मालगुजारी की छूट दी गई थी ।

श्री उग्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें स्पष्ट तौर पर जानना चाहता हूं। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि १९६४ की खरीफ में ३ लाख ४२ हजार मालगुजारी में छूट के लिये वसूली स्थगित कर दी गई थी और जितनी कर दी गई थी आज भी उसकी वसूली १ नवम्बर, १९६५ से हो रही है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ९०९ गांव कौन से हैं जहां इतनी छूट दे दी गई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इसका सारा का सारा ब्यौरा हमारे पास है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। देवरिया, पडरौना तथा सलेमपुर के क्षेत्रों में बाढ़ से तथा और जगहों में शीत से होने वाले नुकसान के लिये छूट दी गई है। पहले में ४९० गांव हैं और दूसरे में ४१९ गांव आते हैं तो दोनों मिलाकर ९०९ होते हैं। पहले में १,४०,४१०.२६ रुपये तथा दूसरे में ४५,१८३ रु० ५२ पैसे की छूट दी गई।

माननीय सदस्य ने कई बार जिक्र किया कि स्थगित रकम की वसूली हो रही है। इस बात की जानकारी की गई। हो सकता है कि कहीं भूल हो गई हो, लेकिन अगर वह कोई निश्चित स्थान बतावें तो उसे देखें।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी को पता है कि एस० डी० एम० और जिलाधीश देवरिया दोनों ने सिफारिश की है कि जो मालगुजारी सन् ६४ में स्थगित हो गई वह माफ कर दी जाय और राजस्व परिषद् तथा माल विभाग से कोई आदेश नहीं गया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि अगर कहीं मालगुजारी स्थगित है तो वह वसूल नहीं की जायगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

देवरिया का प्रश्न है। इस प्रश्न में जनरल कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मंत्री जी जानकारी हासिल करेंगे कि देवरिया से लगे हुये जिले आजमगढ़ में भी स्थगित मालगुजारी वसूल की जा रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह हो सकता है, लेकिन प्रश्न तो देवरिया का है।

श्री उग्रसेन—

जिलाधीश और एस० डी० एम० की रिपोर्ट के बावजूद आयुक्त गोरखपुर ने रिपोर्ट दी कि बाढ़ के इलाके की मालगुजारी में छूट का कोई सवाल पैदा नहीं होता और उन दोनों की रपट को वह खरीते में दबाकर बैठ जाते हैं जिससे सरकार आलिया को ठीक खबर नहीं मिलती है, इसलिये क्या मंत्री जी कमिश्नर के यहां से गोरखपुर कमिश्नरी की रिपोर्ट का फाइल मंगा कर देखेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

हुकूमत आलिया जाब्ते से हर चीज को देखती है। यदि माननीय सदस्य पूरा ब्योरा लिख कर दे दें तो जांच कर ली जायगी।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरे नाम के किसी व्यक्ति ने सरकार का ध्यान पत्र द्वारा इधर खींचा है और उस पर पूरी जांच करावेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

आगे माननीय चन्द्रबलीसिंह का प्रश्न है जिसमें बहुत ब्यौरे से सूचना मांगी गई है। इस विशेष प्रश्न में मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई पत्र लिखा है। अक्सर यह पत्र लिखा करते हैं और अच्छे प्रश्न उठाते हैं।

वाराणसी जिले में अध्यापिकाओं से भत्ते की वापसी

*१४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी स्कूलों में सहशिक्षा के अन्तर्गत अध्यापिकाओं को जो १० रु० ग्रामीण भत्ता दिया जाता था, उसे बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो वाराणसी जिले में बहुत से स्कूलों में दो वर्ष से नहीं दिया जा रहा है उसमें बसनी प्राइमरी स्कूल, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में भी नहीं दिया जा रहा है इसका कारण क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सह-शिक्षा वाले स्कूल की अध्यापिकाओं को ग्रामीण भत्ता देय नहीं है। गलती से वाराणसी जिले की सह-शिक्षा वाले स्कूलों की कुछ अध्यापिकाओं को ग्रामीण भत्ता दे दिया गया था। पर जब गलती मालूम हुई तो जो भत्ता दिया गया था उसे अध्यापिकाओं से वापस ले लिया गया।

श्री ऊदल—

क्या सरकार इस प्रश्न पर फिर विचार करेगी कि सह-शिक्षा वाले स्कूल में भी भत्ता दिया जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

खाली बालिकाओं के स्कूलों में देय है और यह भी जो पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

श्री ऊदल—

अध्यापिकाओं के अभाव को देखते हुये क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि यह भत्ता सभी अध्यापिकाओं को दिया जाय ताकि कोई भेद-भाव न रहे और उन्हें रहने के लिये कुछ सुविधा हो जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ऐसा सम्भव नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अध्यापिकायें उपलब्ध नहीं हैं केवल यहीं के लिये यह व्यवस्था है। सह-शिक्षा वाले स्कूलों में यह माना जाता है कि वहां अध्यापिकायें उपलब्ध हैं, इसलिये वहां के लिये यह व्यवस्था नहीं है। वहां देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

यह नीति किस आधार पर बनाई गई है कि जहां ज्यादा अध्यापिकायें उपलब्ध होंगी वहां नहीं देंगे और केवल लड़कियों के स्कूलों में ही देंगे। जिसमें लड़कियों के साथ लड़के भी पढ़ते हों उनमें नहीं देंगे ? क्या लड़कों के पढ़ने से कम कर दिया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, यहां बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है। स्कूल दो प्रकार के हैं। एक तो सिर्फ लड़कियों के हैं और दूसरे सह-शिक्षा वाले। सह शिक्षा वाले स्कूलों में अधिकतर पुरुष पढ़ाते हैं। वहां पर अगर कोई स्त्रियां भी पढ़ाती हैं तो उनको पुरुषों के बराबर ही वेतन दिया जाता है केवल बालिकाओं वाले स्कूलों में ही यह प्रश्न किया जाता है कि केवल अध्यापिकायें ही रखी जायं। चूंकि वे उपलब्ध नहीं थीं, इसलिये उनको प्रोत्साहन देने के लिये ग्रामीण भत्ता रखा गया था।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, यह तो केवल भत्ता दे कर लौटाया गया है, वह सरकार के किसी गलत सरक्यूलर के जारी होने के कारण दे दिया गया था या जिला अधिकारियों की गल्ती से दे दिया गया था ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय—

यह सरक्यूलर की गलती नहीं थी, उसको समझने की गलती थी। वास्तव में वह तो केवल स्कूलों की कैटेगरी का सवाल था, कौन पढ़ाता है, इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। वह तो गलती से दे दिया गया था और वह तो वापस भी हो गया है।

बस्ती कलेक्टरी में परिगणित जातीय कर्मचारियों की नियुक्ति

*१५—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के कलेक्टरी दफ्तर में १ जनवरी, १९६३ से आज तक कुल कितने अहलकारों की नियुक्तियां हुईं और उनमें से कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

१ जनवरी, १९६३ से आज तक बस्ती जिले के कलेक्टरी कार्यालय में ८ तथा संग्रह विभाग में २६ अहलकारों की नियुक्तियां हुईं जिनमें से क्रमशः १ व ४ अहलकार परिगणित जाति के हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कलेक्टरी में जो आज तक नियुक्तियां हुई हैं उनमें जो प्रतिशत के हिसाब से नौकरियां मिलनी चाहिये थीं, वह नहीं मिलीं ? तो क्या सरकार उस प्रतिशत को पूरा करने की कृपा करेगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इस मामले में इसका खयाल किया गया है।

कुमायूं में बन्दोबस्त कर्मचारी

*१६—श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

कुमायूं में मौजूदा बन्दोबस्त में लगे हुये सेटिलमेंट कर्मचारी जो बेकार हो गये हैं उन कर्मचारियों की संख्या क्या है और उनमें से अब तक कितने कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर सेवायें करने का मौका प्रदान किया गया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

बन्दोबस्त के बेकार कर्मचारियों की कुल संख्या ६४१ थी। इसमें से अब तक ४१९ कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर लगाया जा चुका है।

श्री देवेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, सरकार ने जो उत्तर दिया है, उससे मुझे संतोष है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

चकबन्दी अधिकारी, रुद्रपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१७—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रुद्रपुर, जिला देवरिया के चकबन्दी अधिकारी के खिलाफ ३ मार्च, १९६५ से आज के बीच कितनी दरख्वास्तें जनता की बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, देवरिया, माल मंत्री, उत्तर प्रदेश, चकबन्दी डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश के पास भेजी गई हैं तथा क्या २६ जुलाई को रुद्रपुर में कोई प्रदर्शन कर जनता ने सर्वसम्मति प्रस्ताव उपरोक्त अधिकारियों के पास भेजा? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुये क्या कार्यवाही अमल में लाई गई, बताने की कृपा करेगी?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जी हां। ७ दरख्वास्तें तथा २६ जुलाई, १९६५ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इन सभी में चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे। आरोपों की पूर्ण जांच की गई किन्तु सभी आरोप निराधार पाये गये। माननीय सदस्य इन सभी दरख्वातों तथा प्रस्ताव को मेरे कार्यालय में देख सकते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

वह जांच किस अधिकारी से कराई गई और जिन लोगों की दरख्वास्त थीं क्या उन लोगों से खुली गवाहियां ली गई और किन-किन को गवाहियों के लिये बुलाया गया था?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जांच चकबन्दी की डिस्ट्रिक्ट अथारिटी द्वारा की गई।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

विभिन्न मामलों के बारे में कहा गया कि शिकायतों की जो जांच कराई जाती है उसमें दरख्वास्त देने वालों का साक्ष्य नहीं लिया जाता है, उन्होंने प्रश्न स्पष्ट किया कि जिसने शिकायत की उनसे बुला कर पूछा गया या नहीं और किस-किस की उसमें गवाही ली गई, इसका उत्तर आना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह अफसर रिश्वत लेते हैं और उसी में से जांच करने वालों को भी दे देते हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री—

उपाध्यक्ष महोदय, जांच पूरे ब्योरे से जिला बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा कराई गई। अब इतने ब्योरे में इस वक्त मैं नहीं जा सकता कि किन-किन का साक्ष्य वहां लिया गया। परन्तु यदि माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में आ जायं तो मैं उनको दिखा सकता हूं कि किस विधि से जांच हुई है और इसके अलावा भी यदि वह लिख कर देंगे कि अमुक प्रकार से यह चीज होनी चाहिये तो हम वैसे भी करेंगे और इस गुत्थी को सुलझाने में हमें कोई गुरेज न होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी फिर जांच करने वाले अधिकारियों को निर्देश करेंगे कि जिन्होंने दरख्वास्त दी थीं उनके बयान न ले कर जो झूठी रिपोर्ट उन्होंने भेजी है उसके अलावा फिर से बयान लें और साक्ष्य लें और फिर मंत्री जी सदन में उत्तर दें और सही स्थिति सदन में रखें ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अगर कोई चैलेंज करें और हमें लिख कर दें तो हम किसी के भ्रम को दूर करने के लिये जांच फिर से करा लेंगे ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अफसर, रुद्रपुर के विरुद्ध कौन-कौन सी प्रमुख शिकायतें थीं ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह रिश्वतखोरी के बारे में है, ब्योरा आप मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप किसी खास केस के बारे में पूछ सकते हैं ।

श्री उग्रसेन—

मुख्य आरोप तो पूछ ही सकते हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैं निवेदन कर रहा हूं कि कार्यालय कौन दूर है, ब्योरेवार वह वहां आ कर देख सकते हैं माननीय सदस्य को मैं सब कागजात दिखाने को तैयार हूं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मंत्री जी ने जिस जांच का जिक्र अपने उत्तर में किया है वह जांच निराधार है। मैं उसको बिलकुल झूठा मानता हूं । हमने प्रार्थना-पत्र दिया, माननीय कृषि मंत्री जी ने भी देखा । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी फिर से इसकी खुली जांच करा लें, हम से साक्ष्य ले लें तभी हम समझ सकते हैं कि जांच सही हुई है ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

अगर उन्हें इत्मीनान नहीं है तो जैसा मैंने अर्ज किया कि हम देख लेंगे कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि अगर जांच को कोई चैलेन्ज करे तो वे पुनः जांच करवा देंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे उन आवेदन कर्त्ताओं से , जिन्होंने आवेदन किया है, पूछने की कृपा करेंगे और पुनः इस मामले की जांच करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम कुमार शास्त्री—

श्रीमन्, मैंने तो निवेदन किया कि अगर कहीं पर माननीय सदस्य को इख्तिलाफ हो तो अगर वे लिख कर देंगे तो मैं अवश्य जांच करवा लूंगा ।

महिला दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर में वेतन मिलने में विलम्ब

*१८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय, गोरखपुर में गत साल से दाखिल नार्मल की अध्यापक छात्राओं को, जो देवरिया जिला परिषद् की ओर से आई हैं, शुरूमें वेतन देकर इधर १० माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है और जिले से अनेक छात्राओं की इस दीक्षण-पढ़ाई के छटने की सम्भावना हो गई है ? यदि हां, तो क्या तत्काल व्यवस्था करने का आदेश कर उनके दीक्षण-पढ़ाई को छूटने से बचावेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने अपने पत्र दिनांक २३ सितम्बर, १९६५ द्वारा शासन को सूचित किया है कि अध्यक्ष, जिला परिषद् देवरिया ने अपने आदेश दिनांक २ सितम्बर, १९६५ द्वारा वेतन भुगतान करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है । अतः दो अध्यापिकाओं श्रीमती मालती मिश्रा एवं कुमारी विजय लक्ष्मी को वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई । वेतन भुगतान में हुये विलम्ब के कारणों की जांच की जा रही है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वेतन के भुगतान में कितनी देरी हुयी और क्या उन अध्यापिकाओं को अब नियमतः वेतन मिल रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ये अध्यापिकायें वहां १९६४–६५ से हैं और भुगतान हुआ माह सितम्बर के पश्चात् । केवल इतना विलम्ब हुआ है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें सितम्बर, अक्तूबर के बाद दिसम्बर, का वेतन भी मिला है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जैसे तनख्वाह मिलती है वैसे ही उन्हें भी मिलेगी ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

इन अध्यापिकाओं को ३–४ माह से वेतन नहीं मिल रहा है । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मेरी सूचना है कि उन्हें मनी-आर्डर द्वारा रुपया भेजा गया है पर यदि माननीय सदस्य की यह सूचना है कि नहीं दिया जा रहा है तो मुझे यदि लिख कर दे देंगे तो मैं उसकी भी जांच करवा लूंगा ।

महिला एल० टी० ट्रेनिंग कालेज की आचार्या

*१९—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि लड़कियों के एल० टी० राजकीय ट्रेनिंग कालेज की आचार्या क्लास द्वितीय की हैं, जब कि अन्य राजकीय एल० टी० ट्रेनिंग कालेजों में क्लास प्रथम के आचार्य हैं ?

श्री राममूर्ति

जी हां ।

गोरखपुर क्षेत्र में एच० टी० सी० की ट्रेनिंग में हरिजन

*२०—श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर कमिश्नरी के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में १९६४–६५ में जूनियर हाई स्कूल पास कितने गवर्नमेंट नामिनी बनाकर एच० टी० सी० की ट्रेनिंग में भेजे गये थे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

शासन द्वारा मनोनीत अभ्यर्थियों की सूची दीक्षा विद्यालयों में भेज दी जाती है जहां उनकी शैक्षिक योग्यता की जांच मूल-प्रमाण पत्रों को देख कर की जाती है। सत्र १९६४–६५ में बस्ती जिले में राजकीय दीक्षा विद्यालय बांसी में एक जूनियर हाई स्कूल पास अभ्यर्थी प्रवेशार्थ गया परन्तु उसका प्रवेश विद्यालय में नहीं किया गया, क्योंकि वह हाई स्कूल पास नहीं था ?

*२१—श्री सोहनलाल धुसिया—

उन लोगों में प्रत्येक जिले से हरिजनों की संख्या कितनी थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उपरोक्त एक ।

श्री सोहनलाल धुसिया—

गोरखपुर कमिश्नरी के अन्तर्गत १९६४–६५ में हाई स्कूल पास या उससे अधिक की शिक्षा वाले कितने गवर्नमेंट नामिनी बना करके भेजे तथा उसमें शेड्यूल्ड कास्ट की क्या संख्या थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यहां संख्या बताने में तो असमर्थ हूं। इसी साल धुसिया साहब ने तीन अभ्यर्थियों के नाम दिये हैं, तीनों ब्राह्मण हैं। तो मैं क्या बताऊं कि कौन शेड्यूल्ड कास्ट है, मैं किस प्रकार से इसको जज करूं। जब वहां जाते हैं तो माननीय सदस्य के देखने की बात है कि किसको दे रहे हैं।

श्री सोहनलाल धुसिया—

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने जाति का नाम बता दिया है। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट में नाम नहीं बताया जाता है। पर मैं जानता हूं कि इनका मोटिव क्या है। मेरा कहना यह है कि जो असली चीज थी उसको तो सरकार ने गायब कर दिया है जिसको सरकार करने के लिये बाउन्ड है। माननीय मंत्री जी ने जो जाति का नाम बताया है इसके अगेन्स्ट में प्रोटेस्ट करता हूं। और मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या सूचना है कि कितने शेड्यूल्ड कास्ट के हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हर जिले के जिन आदमियों को चुना गया है उनके नाम मैं सुनाये दे रहा हूं। माननीय सदस्य जान लें कि कौन शेड्यूल्ड कास्ट हैं।

आजमगढ़ जिला—

(१) श्री शौकत वहीद, पुत्र श्री अब्दुल वहीद, (२) श्री इलियास, पुत्र श्री गरीब, (३) श्री फेकूराम, पुत्र श्री छांगुर राम, (४) केदार गिरि, पुत्र श्री लक्ष्मी सेवक गिरि, (५) श्री राजदेव सिंह, पुत्र श्री राम देव सिंह, (६) श्री श्रीराम तिवारी, पुत्र श्री रामउग्रह तिवारी, (७) श्री दीनानाथ राय, पुत्र श्री कुबेर राय, (८) श्री हरिहर राम पुत्र श्री रसावन राम . . .

एक सदस्य—

इसमें आप यह तो बतायें कि कौन-कौन शेड्यूल्ड कास्ट के हैं ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय--

इसमें तो केवल नाम हैं। नामों से आप पता लगा सकते हैं कि कौन हरिजन हैं, मेरे लिये बड़ा मुश्किल है जब कि नाम के आगे सरनेम ही नहीं लिखा है तो किस प्रकार मैं बता सकता हूं कि कौन क्या है।

श्री सोहनलाल धुसिया--

सरकार बाउन्ड है कि गवर्नमेंट नौमिनी बनाते समय ध्यान रखे कि उनका रिप्रेजेन्टेशन पूरा होना चाहिये। और जब गवर्नमेंट ने अपने नामिनी को भेजा तो शेड्यूल्ड कास्ट को क्यों इगनोर कर दिया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जो नाम आते हैं, जिनको माननीय सदस्य अपना नौमिनी बनाते हैं मैं तो उन्हीं को लेता हूं। उसके अतिरिक्त यदि कोई मेरे पास आया, शेड्यूल्ड कास्ट आ जाते हैं तो मेरिट पर उनको भी मैं भेजता हूं। लेकिन जब लोग लिखते नहीं तब मेरे लिये मुश्किल हो जाती है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि माननीय सदस्य जो नाम देते हैं वही गवर्नमेन्ट नामिनी में भेजे जाते हैं तो क्या उन्होंने कोई ऐसी परम्परा बना रखी है या कोई नियम हैं जिनके अन्तर्गत गवर्नमेन्ट नामिनी अप्वाइन्ट किये जाते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

माननीय सदस्य जो नाम देते हैं उन्हें भेजता हूं। उसके अतिरिक्त जो नाम आते हैं उनमें मैं छांटता हूं और जहां तक सम्भव होता है ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको भेजता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

मैं पूछना चाहता हूं कि आपने गवर्नमेन्ट नामिनी के लिये क्या नियम बनाए हैं, किन नियमों के अन्तर्गत लेते हैं ? क्या यही नियम है कि जो माननीय सदस्य नाम देते हैं उन्हीं में से भेजते हैं या कोई नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो वह नियम क्या हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

यहां पर नियम कोई इस प्रकार से नहीं है। माननीय सदस्य भेजते हैं, उन्हें लेते हैं, जिला बोर्ड से नाम आते हैं संस्तुति के सहित उनमें से लेते हैं उसके बाद राजनीतिक पीड़ित, हरिजन, बैकवर्ड माइनारिटीज का नाम आता है उनको लेते हैं। जितने जिला बोर्ड्स से आते हैं उनको लेते हैं। फिर जिनकी शैक्षिक योग्यता अच्छी होती है उनको औरों के मुकाबले पहले ले लेते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा--

माननीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि प्रत्येक विधान सभा सदस्य का एक एक उम्मीदवार लेंगे, लेकिन ऐसा मालूम हुआ है कि किसी का एक ले लिया, किसी के चार ले लिये और किसी का एक भी नहीं लिया तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

जिनकी शैक्षिक योग्यता पूरी थी माननीय सदस्यों के में से प्रत्येक एक सदस्य अवश्य लिया गया। बाकी के लिये कोई कमिटमेन्ट नहीं था, डिस्क्रीशन की बात थी।

नोट--तारांकित प्रश्न २१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२२—श्री सत्यनारायण पाण्डेय—

[४ फरवरी, १९६६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३-२४—श्री बृजबिहारी—

[४ फरवरी, १९६६ के लिये स्थगित किये गये ।]

पन्नी जी शुगर मिल संबंधी मुकदमे

*२५—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री दया राम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पन्नी जी शुगर मिल पर १९५७-५८, १९५८-५९ में जो सैल्स टैक्स की चोरी की गई थी उन मुकदमों पर क्या हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चीनी पर १४-१२-५७ में बिक्री कर के बजाय एडिशनल इक्साइज ड्यूटी लगा दी गई थी । इसलिये ५८-५९ में चीनी की बिक्री पर टैक्स की चोरी करने का प्रश्न नहीं उठता । वर्ष ५७-५८ में मिल ने १,६८,८३,९५३.०७ की संपूर्ण बिक्री घोषित की थी । इस बिक्री में से ७४,६५,९१५.२२ की बिक्री पर मिल ने छूट मांगी थी क्योंकि मिल के अनुसार उपरोक्त धनराशि की चीनी दिल्ली शाखा द्वारा बेची गई थी । ७४,६५,९१५.२२ की छूट में से ४०,००,०००.०० की छूट बिक्री कर अधिकारी ने हिसाब-किताब देखने के बाद अस्वीकार कर दी । इस ४० लाख रु० की बिक्री में से ३० लाख पर केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम के अधीन व १० लाख रुपये पर प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट के अधीन कर लगाया गया था । अपील व रिवीजन न्यायालयों ने ५७-५८ के प्रान्तीय व केन्द्रीय कर से संबंधित फैसलों को पुनर्विचार (Remand) के लिये वापस भेज दिया है । वर्ष ५८-५९ में ३ लाख के बोरे तथा शीरे की बिक्री पर एक तरफा कर लगाया गया था । जब पुनरीक्षण ने वह केस भी पुनर्विचार के लिये वापस कर दिया है । इन पुनर्विचार के मामलों पर अभी फैसला नहीं हुआ है ।

काश्मीर में शिक्षा मन्त्रियों की कान्फ्रेन्स पर राज्य का व्यय

*२६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, १९६५ में काश्मीर में जो शिक्षा मंत्रियों की कान्फ्रेन्स हुई उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व क्या था तथा उस पर सरकार का क्या व्यय कहां-कहां कितना कितना हुआ ?

श्री राममूर्ति—

इस कान्फ्रेन्स में शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और उप शिक्षा सचिव अपने-अपने स्टाफ के साथ गये थे । इन अधिकारियों तथा उनके स्टाफ पर राज्य सरकार का कुल ४,७१८ रु० व्यय हुआ ।

डी० ए० वी० कालेज, कानपुर का बन्द होना

२७—श्री झारखण्डे राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर डी० ए० वी० कालेज अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम मूर्ति—

जी हां, दिनांक ५-११-६५ को कालेज अनिश्चित काल के लिये बन्द किया गया था । छात्रों की कुछ मांगें प्रधानाचार्य द्वारा न पूरी होने के कारण कुछ छात्रों ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया तथा अन्य छात्रों को कालेज में प्रवेश से रोका तथा भूख हड़ताल की । अतएव अनुशासनार्थ कालेज बन्द कर दिया गया था ।

*२८—श्री झारखण्डेराय—

सरकार ने इसे पुनः खुलवाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति—

कालेज दिनांक १५-११-६५ को खुल गया था।

एस० एस० ई० एस० पद पर नियुक्ति

*२९—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अध्यापक शिक्षा (एस० एस० ई० एस०) पद के लिये जो उम्मीदवार अक्तूबर, १९६५ में सर्विस कमीशन के सामने साक्षात्कार हेतु गये थे उनमें से कितने उम्मीदवार चयन किये गये तथा उनमें से कितनों की नियुक्ति की गई ?

श्री राममूर्ति—

एस० एस० ई० एस०—के एक पद के लिये लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के सामने साक्षात्कार अक्टूबर, १९६५ में नहीं बल्कि सितम्बर, १९५९ में हुआ था। पांच अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये उपस्थित हुए थे। आयोग द्वारा दो अभ्यर्थियों के नाम संस्तुत किये गये थे। एक ही पद होने के कारण प्रथम अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गयी।

*३०—श्री मुहम्मद रफी खां—

[४ फरवरी, १९६६ के लिये स्थगित किया गया।]

चक्की भूसाडोही के निकट देवरिया और आजमगढ़ जिलों का सीमा विवाद

*३१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री दिनांक २ अप्रैल, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३ तक के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त गोरखपुर ने क्या और कब निर्णय लिया है और तदनुसार ग्रामों के नक्शों में सीमा अंकित कब तक हो जायेगी ?

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

आयुक्त गोरखपुर ने दिनांक १५ सितम्बर, १९६५ को यह निर्णय दे दिया है कि सीमा हदबन्दी देवरिया जिले के ग्रामों के १३२४ फसली वाले बन्दोबस्ती नक्शों के आधार पर होनी चाहिये। इन ग्रामों के नक्शे उपलब्ध हैं।

मथुरा जिले में माल व मजकूरी चपरासी

*३२—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में माल व मजकूरी चपरासी हर तहसील यानी छाता व माट व सादाबाद व मथुरा में कितने कार्य करते हैं और उनकी माहवारी कारगुजारी सन् १९६५ में क्या-क्या हैं ? क्या उनमें से कुछ घरों पर अधिकारियों का भी कार्य करते हैं और सरकारी कार्य में असुविधा होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३३-३४—श्री सुखदेवप्रसाद—[४ फरवरी, १९६६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३५—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

[४ फरवरी, १९६६ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[४ फरवरी, १९६६ के लिये स्थगित किया गया ।]

हैदरगढ़ तहसील कार्यालय भवन

*३७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील का कार्यालय का भवन नये ढंग से बनाने की योजना सरकार ने स्वीकार कर ली है ? यदि हां, तो इस योजना पर कितना धन व्यय किया जायेगा और यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । इसके अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*३८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त तहसील भवन का प्लान इस्टीमेट बन कर सरकार के पास आ गया है और उसके अनुसार सरकार कार्य प्रारम्भ करने जा रही है ? यदि हां, तो प्लान इस्टीमेट और उसका नक्शा क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं । इसके अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*३९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी में हैदरगढ़ तहसील के उक्त कार्यालय भवन के साथ साथ स्टाफ क्वार्टर भी बनाने की योजना है ? यदि हां, तो किन किन के और उन पर कितना धन व्यय किया जायगा तथा उक्त योजना कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील का कार्यालय भवन तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये निवास स्थान बनाने के प्रस्ताव पर राजस्व परिषद् विचार कर रही है। जब तक एस्टीमेट इत्यादि तैयार न हो जावे व्यय के विषय में सूचना देना सम्भव नहीं है। इस प्रारम्भिक अवस्था में यह अनुमान लगाना भी कठिन है कि यह प्रस्ताव सरकार के द्वारा स्वीकृत होगा या नहीं और होगा तो कब तक होगा और कब वह कार्यान्वित होगा।

विश्वविद्यालय कर्मचारियों का वेतन

*४०—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विश्वविद्यालयों के गैर अध्यापक कर्मचारियों के वेतन क्रमों के अभिनवीकरण पर विचारार्थ कोई समिति सरकार ने नियुक्त की है ? यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं ।

*४१—श्री जगन्नाथ राव—

सरकार लखनऊ विश्वविद्यालय के गैर अध्यापक कर्मचारियों के वेतन-क्रम के अभिनवीकरण करने पर कब तक विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—

अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

इकोनामी कमेटी के सुझाव

*४२—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार द्वारा गठित इकोनामी कमेटी ने अपनी बैठकों में शासन के किन-किन खर्चों की कटौती करने का निर्णय लिया था तथा उनमें से कौन कौन निर्णय कार्यान्वित किये जा चुके हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिस विज्ञप्ति द्वारा इकोनामी कमेटी का गठन हुआ था उसमें इस कमेटी की कार्यवाही तथा सुझावों को गोपनीय बताया गया है । अतः इस संबंध म कुछ बताया जाना उचित नहीं है ।

कानपुर में बिक्री-कर अधिकारी

*४३—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या वित्त मंत्री यह बतायेंगे कि साधारण व्यवस्था यह है कि एक अधिकारी एक स्थान पर ३ वर्ष से अधिक नहीं रहेगा तो फिर कानपुर के वर्तमान बिक्री-कर अधिकारी को इससे अधिक समय से कानपुर में रखने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सत्य है कि श्री आर० यू० सिंह बिक्री-कर अधिकारी १७ जुलाई, १९६१ से २३ जून, १९६४ तक बिक्री-कर अधिकारी (विशेष अनुसन्धान शाखा) कानपुर के क्षेत्र के पद पर कार्य करते रहे और उसके पश्चात् २४-६-६४ से बिक्री-कर अधिकारी इंचार्ज कानपुर के पद पर हैं । २४-६-६४ से पूर्व उनकी नियुक्ति को नियमित सर्किल के बिक्री-कर अधिकारी के रूप में नहीं माना गया क्योंकि उक्त पद पर उनका कार्य-क्षेत्र कानपुर के अलावा झांसी, उन्नाव, उरई, बांदा, इटावा, फतेहपुर, फर्रुखाबाद तथा हमीरपुर मंडलों में था और इस पद पर उनको व्यापारियों पर कर निर्धारण का भी अधिकार नहीं था ।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कर्मचारियों की भूख हड़ताल

*४४—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दिनांक २ मार्च, १९६४ को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन के कुछ पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों पर किये जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध जो भूख-हड़ताल प्रारम्भ की थी वह हड़ताल जिलाधीश द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि हरिद्वार के रेजिडेन्ट मैजिस्ट्रेट विवाद की जांच करेंगे तथा उनकी रिपोर्टों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी, समाप्त कर दी गई थी ?

श्री राममूर्ति—

जहां तक सरकार को सूचना है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों को कोई यूनियन न थी और न है। कुछ कर्मचारियों को असंतोषजनक कार्य के कारण नियमानुसार सेवा से पृथक कर दिया गया था जिस पर उन्होंने भूख हड़ताल तथा प्रदर्शन करना प्रारम्भ किया। जिले में शान्ति रखने के उद्देश्य से जिला अधिकारियों ने प्रारम्भिक तथा अनौपचारिक जांच का आदेश दिया था परन्तु गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के केन्द्रीय सरकार के अधीन होने के कारण कोई जांच न हो सकी।

*४५—श्री रक्षपालसिंह—

यदि हां, तो रेजिडेन्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच रिपोर्टों की एक प्रति क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि सरकार की ओर से विवाद को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राममूर्ति—

रेजीडेन्ट मैजिस्ट्रेट ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार के अधीन है अतः जांच का कराना व विवाद का सुलझाना केन्द्रीय सरकार का काम है।

*४६—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

[४ फरवरी, १९६६ के लिये स्थगित किया गया।]

दुवारी ग्राम के किसानों का आवेदन-पत्र

*४७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दुवारी, पोस्ट दुवारी, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों का आवेदनपत्र दिनांक २३ अगस्त, १९६५ का लिखित उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें हाकिम परगना, रसड़ा, जिला बलिया की अदालत से मिसिल गायब कर देने की शिकायत है और जिलाधीश बलिया के पास भी आवेदन पत्र दिये गये हैं, पर कार्यवाही न होने की चर्चा है? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई और परिणाम क्या हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

नेशनल हायर सेकेण्डरी स्कूल, कादम्बरी कानन, पिंडरा

*४८—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, कादम्बरी कानन, पिंडरा, जिला वाराणसी में प्रशासन योजना लागू हो गयी है या नहीं?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

*४९—श्री रामचन्द्र विकल—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया।]

प्रयाग नगरपालिका के शिक्षा विभाग में गबन

*५०--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ व १९६३-६४ में नगरपालिका प्रयाग के शिक्षा विभाग में हुए गबन संबंधी जांच का रिपोर्ट क्या है तथा उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति--

जांच की रिपोर्ट से विदित हुआ कि बालिकाओं के शिक्षा विभाग के लेखे में १९५५-५६ से १९६३-६४ तक १३,९७५ रु० का तथा बालकों के शिक्षा विभाग के लेखे में १९५९-६० से १९६३-६४ तक ३१०९ रु० ७१ पैसे का गबन हुआ।

गबन से संबंधित कर्मचारियों को निलम्बित किया गया तथा उनके विरुद्ध अदालत में मामला चलाया गया।

बालकों के विभाग से संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध मामला अदालत में चल रहा है। परन्तु बालिकाओं के विभाग से संबंधित कर्मचारी अदालत से छूट गये।

*५१--श्री रियासत हुसैन--

[४ फरवरी, १९६६ के लिये स्थगित किया गया।]

छात्रों को आर्थिक सहायता

*५२--श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री दिनांक २० मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति के लिये प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक २१ मार्च, सन् १९६४ का लिखित पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो आजमगढ़ जिले के किन-किन शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रार्थना-पत्र तहसीलदार घोसी, जिला आजमगढ़ को मिले और उन पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति--

जी हां, श्री रामसुन्दर पांडेय का दिनांक २१ मार्च, १९६४ का पत्र प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर उन्हें ३१ दिसम्बर, १९६४ को भेजा गया। तहसीलदार घोसी को भेजे गये आवेदन-पत्रों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

*५३--श्री भीमाप्रसाद तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा संस्थाओं द्वारा कितने-कितने रुपये की मांग की गई थी और तहसीलदार द्वारा संस्तुति कितने-कितने रुपये की की गई थी ?

श्री राममूर्ति--

सूचना एकत्र की जा रही है ?

प्रसार अध्यापक

*५४--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन प्रसार अध्यापकों की नियुक्ति १९५५-५६ बाद शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर या सब डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर हुई उन्हें उनके पूर्व सेवाओं का लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

मामला शासन के विचाराधीन है ।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रस्ताव

*५५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् ने २००–४५० वेतन स्तर में नियुक्त शिक्षकों के वेतन-स्तर के लिये अभी हाल में कोई प्रस्ताव पारित किया है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति—

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है, उस पर विचार किया जा रहा है ?

*५६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में रीडर पद कब से स्वीकृत किया जा रहा है और उक्त विश्वविद्यालय में रीडर के कितने पद रखने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—

मामला शासन के विचाराधीन है ।

घाटमपुर तहसील में गबन

*५७—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर के रजिस्ट्रार ने लगभग १,००० रु० का गबन किया और उस गबन की धनराशि को दिनांक ९ फरवरी, १९६४ को खजाने में जमा कर दिया ?

श्री हुकमसिंह विसेन—

यह सही है कि घाटमपुर तहसील के खारिजस्याह से कुछ अनियमित भुगतान पाये गये तथा कुछ रुपये की कमी पायी गई जो रजिस्ट्रार कानूनगो से जमा करा लिये गये हैं ।

*५८—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त गबन के विरुद्ध कोई रिपोर्ट तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों से की थी ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि गबन उन्हीं के साजिश से हुआ था और उन्हीं के कहने से रजिस्ट्रार कानूनगो ने रुपया जमा किया ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हिसाब-किताब की गलती के विषय में तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी थी । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता । जांच हो रही है और नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

*५९—श्री उग्रसेन—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया ।]

काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रकाशनों की जांच

*६०—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री को यह मालूम है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस-बिहार सरकार की बहुत सी टैक्स्ट बुकों को अनियमित रूप से छपा रही है और बेंच रही है जिसका हवाला यू० पी० गजट, दिनांक २३ फरवरी, १९६५ में इलाहाबाद लेबर कोर्ट के केस नम्बर २२/६४ के फैसले द्वारा किया गया ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई ?

श्री राममूर्ति—

मामले की जांच की जा रही है ।

*६१—श्री रतीपाल—

[१ले मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री रतीपाल—

[२रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

२–३—श्री उग्रसेन—

]४ फरवरी, १९६६ के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर जिले के माल विभाग में अनुसूचित जातीय कर्मचारी

४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर की तीनों तहसीलों में कितने-कितने स्थायी कलेक्शन अमीन, लेखपाल व चपरासी हैं और उनमें से प्रत्येक तहसील में कितने-कितने अनुसूचित जाति के अमीन, लेखपाल व चपरासी हैं ?

५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर की तीनों तहसीलों के कार्यालयों में कितने-कितने लिपिक, कानूनगो और चपरासी हैं और उनमें प्रत्येक तहसील में कितने-कितने अनुसूचित जाति के लिपिक, कानूनगो और चपरासी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८१ पर)

६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कलेक्टरी फतेहपुर के कार्यालय में कुल कितने लिपिक व चपरासी हैं और उनमें से कितने-कितने अनुसूचित जाति के लिपिक व चपरासी हैं ?

श्री हुकमसिंह विसेन—

कलेक्टरी फतेहपुर में कुल १२१ लिपिक और १२५ चपरासी हैं । इनमें से ४ लिपिक व १० चपरासी अनुसूचित जाति के हैं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश का श्री उपाध्यक्ष द्वारा पाठ

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को आपके सामने पढ़ रहा हूं--

"श्री सभापति, श्री अध्यक्ष तथा विधान मंडल के सदस्यगण--

आज हम एक महान राष्ट्रीय विपत्ति के वातावरण में एकत्रित हुए हैं। अपने प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री.....

.....अपने परिपक्व अनुभव से प्रयास करते रहेंगे।"

(पूर्ण भाषण के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे ८२-८६ पृष्ठ पर)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

एजेन्डे में जो और आइटम्स हैं उनको भी मेज पर रखा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा नहीं हो सकता।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६५†

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९६५†

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्प कालिक व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९६५ को सदन की मेज पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९६५†

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अध्यादेश, १९६५†

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ को सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) अध्यादेश, १९६५†

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) अध्यादेश, १९६५ को सदन की मेज पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६६†

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश १९६६ को सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (समितियों का निर्माण) संशोधन नियमावली, १९६५† तथा उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६५*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज (२) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५८३४–बी/३३—४–ए(६)–६३, दिनांक १० सितम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (समितियों का निर्माण) संशोधन नियमावली, १९६५ तथा (ख) पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६३६४–बी/ ३३–२५–आर–६५, दिनांक ८ अक्तूबर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (कार्यवाहियों का संचालन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६५ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्व विभाग की विज्ञप्ति के अधीन प्रख्यापित आदेश

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ३६, ३७ और ४० के अधीन राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ९५७/१–क—२२७२–५९, दिनांक २३ सितम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित आदेशों को, उक्त अधिनियम की धारा ४१ के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६५*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायतराज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४९८३–बी/३३—२१०–६४, दिनांक ८ अक्तूबर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६५ को, उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापी नहीं गयी।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, १९६५ *

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उद्योग (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५०३२-एस/१८-सी-१६०१--६३ दिनांक १७ नवम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, १९६५ को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २८ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) नियमावली, १९६५ *

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्रम विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५२५७-एस--जे/३६-ए-१०३६-एस० टी०-६३, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) नियमावली, १९६५ को, उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) अधिनियम, १९६१ की धारा ९ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६५ *

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उद्योग (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६८२५-एस/१८-सी--१६००-६३, दिनांक २१ अक्तूबर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६५ को उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) अधिनियम, १९६१ की धारा १५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (पंचम संशोधन) नियम, १९६५ †

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-४४२५/१०--९४८-(२)-६४, दिनांक २५ अगस्त, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (पंचम संशोधन) नियम, १९६५ को, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापी नहीं गयी।

†छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार नियम, १९६५†

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या २११-३/१-क--८(१२)-६५, दिनांक २० नवम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार नियम, १९६५ को, उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार अधिनियम, १९६५ की धारा ९ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

लखनऊ तथा इलाहाबाद नगर महापालिकाओं के प्रेक्षागृहों पर कर नियमावली *

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या (क) ५१८६-बी/११-ग---४१-एम-टी०-६२, दिनांक १५ दिसम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित लखनऊ नगर महापालिका प्रेक्षागृहों पर कर नियमावली, तथा (ख) ५१८५-बी/११-ग---३९-एस-टी ६४, दिनांक १५ दिसम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित इलाहाबाद नगर महापालिका प्रेक्षागृहों पर कर नियमावली, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

वाराणसी, आगरा तथा कानपुर नगर महापालिकाओं के प्रेक्षागृहों पर कर नियमावली*

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या (क)-३१८५-बी/११-ग---४३-एम-बी-६०, दिनांक ३१ अगस्त, १९६५ द्वारा वाराणसी नगर महापालिका प्रेक्षागृहों पर कर नियमावली तथा (ख) ३४११-बी/११-ग---२-एम-टी-६०, दिनांक ३१ अगस्त, १९६५ द्वारा प्रख्यापित आगरा नगर महापालिका प्रेक्षागृहों पर कर नियमावली तथा (ग) ५५१०-बी/११-ग---३२-एम०-टी-६२, दिनांक ३१ अगस्त, १९६५ द्वारा प्रख्यापित कानपुर नगर महापालिका प्रेक्षागृहों पर कर नियमावली को उत्तर प्रदेश महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी नियमावली, १९६५ *

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि (ख) विभाग की विज्ञप्ति संख्या हा---३४३१/बी---१६८०-६३, दिनांक ९ जुलाई, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन नियमावली, १९६५ को, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४ की धारा की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

*छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विकास योजनायें तथा महायोजनायें नियमावली, १९६५ *

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५५-ग-(नि-२३)/११-ग--१-कार्य (१४)-(भाग-१)-५७, दिनांक १३ सितम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विकास योजनायें तथा महायोजनायें नियमावली, १९६५ को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्तियां*

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या—

(क) एस-टी-४२ ५१/१०--९००(८)-६२, दिनांक १७ अगस्त, १९६५,
(ख) एस-टी-६५५३/१०--९०० (३१)-६५, दिनांक १ सितम्बर, १९६५,
(ग) एस-टी-७०९०/१०--१०१२-६५, दिनांक १ अक्तूबर, १९६५,
(घ) एस-टी-७०९१/१०-१०१२-६५, दिनांक १ अक्तूबर, १९६५,
(ङ) एस-टी-७०९४/१०--१०१२-६५, दिनांक १ अक्तूबर, १९६५,
(च) एस-टी-७०९५/१०--१०१२-६५, दिनांक १ अक्तूबर, १९६५,
(छ) एस-टी-७०९६/१०--१०१२-६५, दिनांक १ अक्तूबर, १९६५,
(ज) एस-टी-७०९८/१०-१०१२-६५, दिनांक १ अक्तूबर, १९६५,
(झ) एस-टी-७०९९/१०--१०१२-६५, दिनांक १ अक्तूबर, १९६५ एवं
(ट) एस-टी-७१००/१०--१०१२-६५, दिनांक १ अक्तूबर, १९६५।

को उक्त धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ नगरों के भीतर स्थित अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली *

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४००३/११-४५ एम-टी०-६०, दिनांक ३० अक्तूबर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित "आगरा नगर के भीतर स्थि अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली" को उत्तर प्रदे नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन क मेज पर रखती हूं।

---

*छापी नहीं गयीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २६७८–बी/११–ग–२९–एम० टी० ६१, दिनांक १६ अक्तूबर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित "इलाहाबाद नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली" को उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६११३–बी/११–ग–२८–एम–टी–६१, दिनांक ३० अक्तूबर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित "लखनऊ नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली" को उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन *

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५६१६/१–क–४२ (३)–६४, दिनांक २२ दिसम्बर, १९६५ द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६५ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६५ और वित्त लेखे तथा विनयोग लेखे १९६३–६४

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६५ को, वित्त लेखे १९६३–६४ तथा विनियोग लेखे, १९६३–६४ सहित, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८७ पर)

---

*छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेन्ट्स एण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट्स एण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८८ पर)

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८९ पर)

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका, और सेवा योजन कर विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९० पर)

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६२ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९१ पर)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जो ये छोटे छोटे ऐक्ट हैं, उसमें १०–१०, १२–१२ शाब्दिक संशोधन हैं, आप देखें और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिये भाषा विभाग और सरकार को ठीक करें।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ६ सितम्बर, १९६५ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १५ सितम्बर, १९६५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २४ सितम्बर, १९६५ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का १६वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ३ सितम्बर, १९६५ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १४ सितम्बर, १९६५ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २४ सितम्बर, १९६५ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का १७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ९ सितम्बर, १९६५ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के २० सितम्बर, १९६५ को वापस हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २ अक्तूबर, १९६५ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का १८वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट्स ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २२ सितम्बर, १९६५ की बैठक में पारित किया तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ३० सितम्बर, १९६५ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ७ अक्तूबर, १९६५ को प्राप्त हो गई है, और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का१९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २४ सितम्बर, १९६५ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १ अक्तूबर, १९६५ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १७ अक्तूबर, १९६५ को प्राप्त हो गयी है, और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोद, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर विधेयक, १९६५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २७ सितम्बर, १९६५ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ६ अक्तूबर, १९६५ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २३ अक्तूबर, १९६५ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का २१वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २८ सितम्बर, १९६५ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १३ अक्तूबर, १९६५ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २३ अक्तूबर, १९६५ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का २२ वां अधिनियम बन गया।

इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १७ अगस्त, १९६५ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १३ सितम्बर, १९६५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १३ नवम्बर, १९६५ को प्राप्त हो गई है और व है सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी) विधेयक, १९६५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ५ अगस्त, १९६५ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १६ अगस्त, १९६५ को बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १७ नवम्बर, १९६५ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का २४ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २ अप्रैल, १९६५ की बैठक में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २३ अप्रैल, १९६५ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २७ नवम्बर, १९६५ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का २५ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन*

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, सभापति विशेषाधिकार समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन†

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ पर नियुक्त विधान सभा की प्रवर समिति के सभापति की हैसियत से उसका प्रतिवेदन और संशोधित विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

प्रदेश की नगर महापालिकाओं को भंग करने सम्बन्धी सरकारी घोषणा के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास कई कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें आयी हैं, उनमें से एक सूचना श्री माधव-प्रसाद त्रिपाठी की है । जो प्रश्न इसमें उठाया गया है उस पर अध्यादेश जारी हो चुका है. . .

---

*छापा नहीं गया ।

†प्रतिवेदन छापा नहीं जा रहा है । पुस्तकालय में देखा जा सकता है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इसके पहले कि आप कुछ कहें, मैं इस संबंध में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। एक तो इतने दिनों के बाद यह असेम्बली बुलायी गयी है और एक तरह से प्रजातंत्र की हत्या सरकार ने यों ही की, दूसरी चीज यह कि सरकार ने कारपोरेशन को भंग करके भी जनतंत्र की हत्या की है। आज जन प्रतिनिधियों में सरकार को विश्वास नहीं है जिसकी वजह से दो वर्ष के लिये उसने उनको अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया है। पारसाल इस सरकार ने कहा था कि अप्रैल, १९६५ में इनका एलेक्शन करा दिया जायगा, लेकिन अब अप्रैल को कौन कहे, दो महीने के लिये कौन कहे, दो वर्ष के लिये इसको और टाल दिया और अब एडवाइजर्स नियुक्त करके हमारी सरकार उनके द्वारा इन कारपोरेशंस का प्रशासन करेगी और सब कुछ नष्ट हो जायगा। बाहर बहुत अधिक क्षोभ व्याप्त है इसलिये कि चुनी हुई सरकार को चुने हुये व्यक्तियों में विश्वास नहीं है। मैंने जो कामरोको प्रस्ताव रखा है इससे उचित कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता...

श्री उपाध्यक्ष—

वह डिस्कशन के लिये आ जायगा जो अध्यादेश जारी हो चुका है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

वह जब आयेगा तब देखा जायगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये इस पर बहुत जल्दी ही विवाद होने से फायदा है और मैंने जो रखा है इससे बढ़कर और कौन मौका होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यादेश तो जारी हो गया है, उस पर बहस होगी ही, उस समय हो जायगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अभी क्यों नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, लेकिन मैंने नियमों के अन्तर्गत यह निर्णय किया है कि उसी समय होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

ठीक है, अब आपका यह आदेश है तब हम उसके विरोध में कम से कम ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन का त्याग करके चले गये)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

कारपोरेशन के संबंध में जो अध्यादेश जारी हो चुका है उससे यह हुआ है कि चुने हुए व्यक्तियों द्वारा चलाई गई नई संस्थाओं को जब्त किया जा रहा है और यह लोकतंत्र के विपरीत है। आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट की फुलबेंच ने आजमगढ़ के जो निर्वाचित अध्यक्ष मुअत्तल हुये थे.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह सब कुछ जो कह रहे हैं वह नियम के अन्तर्गत नहीं है..

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार का अध्यादेश जारी नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

तो जब वह अननुमोदन का प्रस्ताव आयेगा तो उस पर बहस हो जायगी आज उस पर बहस नहीं होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

बहस होनी ही चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन उसके लिये कायदे से जो टाइम होता है उस पर होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, कायदा यही होना चाहिये कि जो जरूरी बात हो उस पर बहस पहले हो लेकिन यहां तो सब बेकायदे हो रहा है । एक इतना महत्वपूर्ण विषय जिससे लाखों मतदाताओं का संबंध हो उसके लिये सरकार अध्यादेश जारी कर दे और इस प्रकार अधिकारों का हनन हो. . .

श्री उपाध्यक्ष—

तो उस वक्त उस पर विचार हो जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

लेकिन आज के इतने महत्वपूर्ण विषय पर क्यों नहीं विचार होगा और कब मौका मिलेगा. . .

श्री उपाध्यक्ष—

उसके लिये आपको तीन दफे मौका होगा, एक तो अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर विवाद के समय, फिर अननुमोदन का प्रस्ताव होगा और तब जब विधेयक आयेगा इस प्रकार तीन तीन बार मौका है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यादेश पर बहस आज न हो, लेकिन कारपोरेशन के मामले पर बहस आज हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय तो हम असमर्थ हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ५ महीने के बाद विधान सभा खुली है और इस बीच जनतंत्र की हत्या नगरपालिकाओं को सुपरसीड करके की गयी, जनतंत्र समाप्त हो गया, हम चाहते हैं कि इस पर विचार हो जाय काम रोक कर तो आपको इसमें क्या वैयक्तिक दिक्कत है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

तीन दफा विचार होगा । लेकिन इस तरह से नहीं होगा जैसे आप चाहते हैं ।

(श्री रामायण राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उग्रसेन—

इससे बढ़कर कोई बात महत्वपूर्ण आज के लिये नहीं हो सकती ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उग्रसेन जी बैठिये । रामायणराय जी को मैंने बुला लिया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

रामायण राय जी कैसे बोलेंगे, मैं खड़ा हूं और मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। रामायण राय को इस समय कहने का कोई अधिकार नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इस समय रामायण राय जी बोलेंगे, आप बैठिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप बार बार नियमों का हवाला देते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किन नियमों के अन्तर्गत एक एक साल तक उसका समय सरकार बढ़ाती रही और उनमें चुनाव नहीं कराये और अब गणतंत्र के दिन आदेश जारी कर दिय....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हम नहीं बैठ सकते। आप जरा सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय उग्रसेन और माननीय काशीनाथ जी को, इस सदन की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये ५ घंटा का समय दिया जाय।

श्री उग्रसेन—

अगर गवर्नर महोदय इमानदार होते तो इतनी अष्ट सरकार को यह अध्यादेश निकालने पर खत्म कर दिये होते और इन मद्रापालिकाओं को जप्त न करते। मेरा निवेदन यह है कि ५ घंटे का समय नहीं बल्कि हमको बोलने के लिये २ मिनट का समय दिया जाय, काशीनाथ जी को भी बोलने दिया जाय। अगर हमको यहां पर नहीं बोलने दिया जायगा तो हम रामायणराय जी के क्षेत्र में जाकर बोलेंगे।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

हम लोगों का प्रस्ताव है कि हमको ५ घंटे का समय नहीं बल्कि हमको केवल २ घंटे का समय दिया जाय। रामायणराय जी कांग्रेस दल के सचेतक हैं। उन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि काशीनाथ जी और उग्रसेन जी को ५ घंटे तक बोलने दिया जाय। लेकिन हमारा प्रस्ताव इस संबंध में केवल २ घंटे का है। उनके प्रस्ताव को आप स्वीकार कर लें और इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर हमको बोलने का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उनकी ओर से यह प्रस्ताव आया है कि ५ घंटे तक इनको बोल लेने दिया जाय। हम केवल २ घंटे की बात करते हैं। तो इस कामरोको प्रस्ताव के लिये आपको २ घंट का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह से बेकायदा प्रस्ताव को कैसे स्वीकार किया जा सकता है? उसको नहीं लिया जा सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि गवर्नर महोदय इस स्टेट के हेड हैं। वह किसी ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं .....

श्री रामायणराय—

आप इन शब्दों को वापस लें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं बिलकुल वापस नहीं लूंगा।

श्री रामायणराय—

मेरा आपसे निवेदन है कि इन शब्दों को कार्यवाही से निकालने की आज्ञा दी जाय। ये शब्द आपत्तिजनक हैं (शोर) श्रीमन्, मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं कि इन्होंने गवर्नर महोदय का अनादर किया है। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस संबंध में अब किसी को सुनना नहीं चाहता हूं। यह मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने निर्णय तो दे दिया, लेकिन राज्यपाल महोदय ने किस नियम के अनुसार यह आज्ञा जारी की?

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर जब वह अध्यादेश विवाद के लिये आयेगा तो उस समय आप प्रस्ताव कर सकते हैं। उस समय आपको मौका होगा कि उस पर बोलें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत सुपरसीड करने का अध्यादेश राज्यपाल महोदय ने जारी किया है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब आप उस समय कह सकते हैं जब यहां पर अननुमोदन का प्रस्ताव रखा जायगा। अब बहुत हो गया आप कृपा कर बैठ जांय।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जांय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम रोको प्रस्ताव महत्वपूर्ण है और रामायणराय जो कांग्रेस दल के सचेतक हैं । उनकी तरफ से यह प्रस्ताव आया है कि ५ घंटा इस पर बहस होनी चाहिये । मैं अधिक समय नहीं मांग रहा हूं । मैं केवल आपसे २ घंटे का समय चाहता हूं कि इस पर बहस की जाय । अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो हम इसके विरोध में २ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं । इस प्रकार से सरकारी मनोवृत्ति का समर्थन नहीं होना चाहिये ।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस समय आप के सम्मुख जो प्रश्न उपस्थित है और जिस के विषय में इतनी प्रार्थना की गयी है कि पिछले कई महीनों के बाद असेम्बली बुलायी गयी, नम्बर एक, इस बीच कारपोरेशन्स के चुनाव न कर के उन को सुपरसीड करने वाली बात की गयी, जिला परिषदों के चुनावों की भी कोई चर्चा नहीं है, ग्राम सभाओं के चुनाव भी जो होने वाले थे, उन की कोई चर्चा नहीं है और इस प्रकार इमर्जेंसी के नाम पर जो यह जनतंत्र विरोधी कार्य किये जा रहे हैं उन पर कम से कम आप कोई दिन विवाद के लिये, अथवा कुछ घंटे ही निश्चित कर दें ताकि सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिल सके । इस प्रार्थना को सही रूप में न मानने का आप का आधार क्या है और आप क्यों इस के लिये इन्कार कर रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो विषय इस समय आप के सामने है उस पर विचार करने का आप को कई दफे मौका मिलेगा । पहला अवसर तो आप को गवर्नर्स ऐड्रेस पर जो विवाद होगा, उस में मिलेगा । इसके बाद अननुमोदन के जो प्रस्ताव आयेंगे उन पर विवाद हो सकेगा, इस के बाद ही बजट आने वाला है । तो इस तरह से आप को निकट भविष्य में कई अवसर मिलेंगे इस तरह के विवाद करने के, इसीलिये मैं इस को स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

मैं दो मिनट में अपनी बात कह देना चहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप के सामने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है और उसके संबंध में इधर से माननीय रामसुन्दर जी ने तथा उधर से रामायणराय जी ने अपनी बात कह दी । दोनों ने मान लिया है कि इस पर बहस हो जानी चाहिये । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस बात को स्वीकार कर लें । ५ महीने तक असेम्बली बन्द रहने पर यह जो कुछ किया गया है .....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, इस पर बहस के दूसरे अवसर आप को मिलेंगे ।

श्री विजयसिंह—

तो इस के विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं ।

(स्वतंत्र दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

नियमानुसार इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिये इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

प्रदेश में छात्र-असंतोष के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब मेरे पास एक सूचना आयी है श्री रघुनाथ जी की तथा श्री रघुवीरराम जी की। इस विषय पर प्रश्न भी हो चुके हैं। विषय है पूरे प्रदेश में पूर्व अचंल से ले कर पश्चिम तक छात्र असंतोष के कारण अनेक घटनायें हो रही हैं। यह स्टूडेंट्स के बारे में है। इस पर प्रश्न आ चुके हैं और इसके अतिरिक्त राज्यपाल के अभिभाषण पर विवाद के समय आप इन विषयों को ले सकते हैं। इस के अलावा इस में किसी एक खास घटना का उल्लेख नहीं है। यह जनरल है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हम करेंगे उसमें बहुत थोड़ा समय मिलेगा और उस में हम इस के आधे विषयों को भी कवर नहीं कर सकते। यद्यपि यह सारहीन है, लेकिन कुछ तो दूसरी बातों पर विचार करने का अवसर आप को प्रदान करना चाहिये।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

प्रदेश की जो खाद्य समस्या और अन्य समस्यायें हैं और जो पूरे प्रदेश में छात्र असंतोष की घटनाएं हुई हैं उन का एक विशेष महत्व है और इसीलिये मैंने इन दो प्रश्नों पर कामरोको प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में या बजट भाषण में यह सारी घटनायें तो आती ही रहती हैं, लेकिन ये घटनायें प्रदेश के जनजीवन पर एक प्रभाव विशेष डालती हैं। इसलिये मेरा आप से आग्रह है कि आप इस पर पुनः विचार करें और इस को अवश्य स्वीकार करें। कम से कम खाद्य समस्या, पूरे प्रदेश में जो गंभीर रूप धारण करती जा रही है, तथा छात्र असंतोष का विषय आप नियम ५२ में ही ले लें और इस पर बहस का एक दिन निश्चित कर दें। मेरा आग्रह है कि आप इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

गवर्नर्स ऐड्रेस एक विशेष मौका है और उस में आपको पूरा अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का। मैं समझता नहीं कि जो जनरल बात है विद्यार्थियों के बारे में या अन्य विषयों के बारे में, उन को इस समय लेना उचित होगा।

अनावर्षण से फसलों के नष्ट हो जाने पर भी रबी लगान वसूल करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय विकल जी का है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, आप कहते हैं कि चूंकि राज्यपाल के भाषण पर विवाद होगा तो मौका मिलेगा विचार करने का, तो क्या आपने कोई जनरल आर्डर पास कर दिया है कि दफा ५२ या कामरोको प्रस्ताव मंजूर नहीं करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

जबकि निकट भविष्य में, महीने दो महीने में नहीं हमें अवसर होता है ऐसे मसलों पर विवाद करने का, जैसे कि कल से ही बहस होने वाली है तो ऐसी चीजें नहीं ली जातीं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आप बतला दें कि किस पर हम बहस कर सकते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

हमारी सुनिये । गोरखपुर के खाद के कारखाने के मजदूरों पर गोली चली, मुरादाबाद में इन छात्रों पर चली, चीनी मिल खड्डा के मजदूरों को मार दिया । हजारों मजदूर भूखों मर रहे हैं । कब हमको मौका मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

सब आ सकता है, कोई इनमें ऐसी मात नहीं है जो उस समय न आ सकती हो ।

श्री उग्रसन—

यही होगा कि हम भाषण दे देंगे मंत्री जी कुछ कह देंगे । हमारी बड़ी मजबूरी है । हम जब खड़े होते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं, इसलिये हमें डर लगता है । हम सादर साग्रह, सविनय निवेदन कर रहे हैं । हम सारी पुलिस के तानाशाही के रवैये के विरुद्ध मजदूरों पर और छात्रों पर गोली चलाये जाने के विरुद्ध जो प्रस्ताव या नियम ५२ लावें आप उनको लीजिये और फुटकर मामलों पर लीजिये । अगर नहीं लेंगे तो जब तक आप नहीं लेंगे हम इसको बराबर देंगे और कोशिश करेंगे कि आप कल लें, परसों लें, आपको लेना ही पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है कि रबी की फसल का जो लगान है उसके चौथाई हिस्से की वसूली सरकार कर रही है .....

श्री उग्रसेन—

मेरे यहां वसूली हो रही है । आप मालूम कर लें । अगर न हो रही हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

लगान लेना जो कि वाजिब नहीं हुआ है वह गैरकानूनी कार्य है । अगर ऐसा है तो उसका जिक्र भी विवाद में आप कर सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

रबी की फस्ल का लगान आपको मैं बतलाऊं कि गांवों में मैं गया हूं जहां शिकायत मिली है कि लोगों की कुर्की और नीलामी हो रही है और डर दिखाया जा रहा है । मुल्तवी और इल्तवा तो होना चाहिये था । इस तरह से लगान वसूल करना अन्याय है । मैं निश्चित उत्तर चाहता हूं सरकार से । गवर्नर भाषण पर विचार के समय कुछ जवाब न दें तो कौन मजबूर करेगा, इसलिये निश्चित रूप में बतलायें कि रबी की वसूली सरकार बन्द कर रही है या वह जारी रखी जायगी ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

इसका सही तरीका यह नहीं है । यह नहीं कि जब चाहें खड़े हो जायें और जिस तरह से चाहें कहने लगें । माननीय विकल जी उसके लिये प्रश्न कर सकते हैं और सरकार उसका उत्तर देगी ।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

जब हाजीपीर दर्रे से हमारे सैनिक वापस चले आये ताशकन्द समझौते के अनुसार, तो यह चवन्नी वाला लगान का प्रस्ताव वापस होना चाहिये (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल—

मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उसका मुझे अधिकार है और मुझे यहां कुछ कहने का अधिकार है, ऐसी बात नहीं है कि मैं जब चाहूं खड़ा हो कर कुछ कहने लगूं जैसा कि माननीय सहकारिता मन्त्री जी ने कहा। आपने नेता विरोधी दल को भी बोलने का मौका दिया है। तो क्या वजह है कि मैं अपने प्रस्ताव पर न बोल सकूं?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसे अस्वीकार करता हूं. आप प्रश्न कर सकते हैं।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की अन्य सूचनाएं

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

सुरक्षा फंड के संबंध में मैंने भी अपना एक प्रस्ताव भेजा है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप शार्ट नोटिस प्रश्न कर लीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जितनी व्यवस्थायें अब तक हुई हैं कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में वह बजट प्रस्ताव होने के समय हुई हैं। तो आप ने व्यवस्था दी है कि कामरोको प्रस्ताव के विषय को वह राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के समय उठा सकते हैं। जहां तक कामरोको प्रस्ताव का संबंध है उसके लिये नियम में ३ बातें दी हुई हैं, वे तोनों बातें जो आज काम रोको प्रस्ताव आप के सामने रखा गया है उसमें निहित हैं। इसलिये आप अपनी व्यवस्था पर पुनः विचार करने की कृपा करें। (व्यवधान) काम रोको प्रस्ताव तो हम सरकार के खिलाफ लाते हैं। उसमें सरकार के खिलाफ वोट होता है केवल चर्चा के लिए नहीं है। इसलिये आप इस पर पुर्नविचार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नियम ५९ (६) को भी देखें—"प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा, जो पहले ही से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो। यह निश्चित करने के लिये कि विषय के पहले से विचारार्थ रखे जाने के कारण चर्चा अनियमित है या नहीं, अध्यक्ष पहले से रखे गये विषय की उचित समय के भीतर सभा के सामने आने की सम्भावना का ध्यान रखेंगे" तो जो अध्यादेश जारी हुआ है वह तो अननुमोदन के लिये आपके सामने आयेगा, फिर बिल आयेगा, और आप को उस पर विचार के लिए काफी मौका मिलेगा....(व्यवधान) राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय भी आप कह सकेंगे....(व्यवधान) अब यह समाप्त हुआ।

नदौता ग्राम में बारातियों का डाकुओं द्वारा अपहरण और हत्या के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब मेरे पस नियम ५२ की कई सूचनायें आई हैं। एक श्री बालोजी अग्रवाल की है। उसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये माननीय गृह मंत्री के पास भेज दिया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

वह सूचना क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

एक बारात में डाका डालकर कुछ हत्यायें हो गयीं और कुछ लोगों को पकड़ कर ले जाया गया.....

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

मैंने एक सूचना आप के पास म्योर मिल के छः हजार मजदूर जो छः महीनों से भूखों मर रहे हैं, दी है, उसका कुछ नहीं हुआ। ऐसी सूचना जिसमें २५ हजार आदमी भूखों मरते हों, सड़कों पर छः महीनों से और इमरजेन्सी भी आई हो तो इसके अलावा और कौन सी महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष—

छः महीनों से झगड़ा चल रहा है और उसके बारे में कई दफा विवाद हो चुका है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

मैं कह रहा हूं कि हजारों आदमी भूखों मर रहे हैं। सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर कई बार चर्चा हो चुकी है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

मैं सरकार से सूचना चाहता हूं। मैंने काम रोको प्रस्ताव तथा नियम ५२ की सूचना भी इसके बारे में प्रस्तुत की है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने और जो बाकी सूचनायें हैं उनको अस्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मुरादाबाद की घटना के बारे में दफा ५२ के बारे में आपने क्या किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

(श्री रियासत हुसैन द्वारा व्यवधान के बीच बोले जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री रियासत हुसैन—

क्यों नहीं किया ? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां जो नादिरशाही चलाई गई है या जो आदमी वहां मारे गये हैं उसका निर्णय आपने क्या किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जाइये। उसे प्रश्नों में पेश कीजिये। मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री रियासत हुसैन—

आप मुरादाबाद वाले मामले के बारे में निर्णय क्यों नहीं लेते?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। उसके लिये आपको मौका है। उसको आप प्रश्नकाल में पता कर सकते हैं।

श्री उग्रसेन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्, आप उपाध्यक्ष हैं, पुलिस मंत्री नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, इसकी सूचना में यह पहले ही प्रश्न कर चुके हैं और जब प्रश्न का जवाब आ चुका है और आगे जब मौका है तो पूछ सकते हैं.....

श्री रियासत हुसैन—

कहीं ऐजेन्डे पर नहीं आया है। दफा ५२ और प्रश्नों में फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

छात्रों की हड़ताल के बारे में क्या कहना है आपको। हम सब सवाल आपसे ही करेंगे और शाम को आपके घर धरना देंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने जो व्यवस्था दी है और उसके संबंध में जो गड़बड़ी हो रही है उस संबंध में एक प्रार्थना है। इतने महत्व के प्रश्न आपके सामने आये, मुरादाबाद गोलीकांड, आयुर्वेद के विद्यार्थियों का मामला, और म्योर मिल का मामला आदि आपके सामने आये, लेकिन आपने उनको एलाउ नहीं किया। न तो आपने एडर्जमेंट मोशन एलाउ किया और न नियम ५२ ही एलाउ किया। खेर साहब ने ९–९ नियम ५२ एलाऊ किये थे। आपके इस प्रकार के व्यवहार से जनतंत्र की व्यवस्था टूटती है।

श्री उग्रसेन—

जनता ने हमको यहां चुनकर भेजा है लेकिन आप हैं कि न तो हमें बोलने देते हैं, न आप कुछ सुनते हैं। वहां पर तो गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन यहां पर आप बोलने भी नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नियम ५२ में जो विषय दिये हैं उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनके ऊपर इसी सदन में विवाद हो चुका है। म्योर मिल का मामला ६ महीने से बराबर चल रहा है, उसकी भी चर्चा सदन में हो चुकी है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

इस वर्तमान सत्र में कौन आया है। नियम ५२ की बात तो वर्तमान सत्र से लागू होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

इनके बारे में सवाल भी किये जा चुके हैं। उनको स्वीकार किया गया।

श्री रियासत हुसैन—

दफा ५२ के सवाल को क्वेश्चन्स से न मिलाइये। यह तो एक निश्चित और महत्वपूर्ण मामले के बारे में है। मुरादाबाद में मैंने आंखों से देखा है। ६ महीने तक असेम्बली नहीं हुई तो मैंने चीफ मिनिस्टर को लिखा।

श्री उपाध्यक्ष—

जब किसी विषय पर सवाल मंजूर हो चुका है तो पहले उसका जवाब तो आ जाने दीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

चूंकि आपने ऐसे महत्वपूर्ण और आवश्यक विषयों पर नियम ५२ के सवालों को स्वीकार नहीं किया है, इसलिये हम लोग इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(विरोधी पक्ष के सभी दलों के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

अधिष्ठाता मंडल के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—

आगामी वर्ष के लिये अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं—

१—श्री जगदीश प्रसाद, (मुरादाबाद,) श्री रामायण राय, श्री जगदीश शरण अग्रवाल, श्री कृष्णानन्द राय, श्रीमती प्रकाशवती सूद, कुंवर श्रीपाल सिंह, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री कमला सिंह यादव, श्री विजय सिंह, श्री रामकिशोर त्रिपाठी।

सदन द्वारा पारित भारतीय सैनिकों की सराहना संबंधी संकल्प के सम्बन्ध में जनरल चौधरी तथा प्रधान मंत्री से प्राप्त पत्रों के बारे में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब मुझे एक सूचना देनी है। मेरे पास २ पत्र आये हैं, एक तो जनरल चौधरी साहब का है और एक प्रधान मन्त्री जी के संयुक्त सचिव महोदय ने भेजा है। यह पत्र इस प्रकार है :—

"प्रधान मन्त्री जी को प्रेषित आप के पत्र संख्या ७४४५/२९४ (संम)-६५, दिनांक १६ सितम्बर, १९६५ की प्राप्ति सधन्यवाद स्वीकार करने का मुझे आदेश हुआ है, जिस के द्वारा प्रधान मन्त्री जी के सूचनार्थ उत्तर प्रदेश विधान सभा की ८ सितम्बर, १९६५ की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत संकल्प की प्रतिलिपि भेजी गई है। सदन ने भारतीय सैनिकों के अक्षम्य साहस के संबंध में जो विचार व्यक्त किये हैं तथा शहीद हुये सैनिकों के परिवारों को जो सहायता देने का संकल्प किया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय है। राष्ट्र परीक्षा की इस घड़ी में स्वतंत्रता की रक्षा के लिये दृढ़-प्रतिज्ञ हो कर सदन ने जो आश्वासन दिया है उससे प्रधान मन्त्री जी बहुत प्रभावित हैं। निःसन्देह सदन के संकल्प ने इस संकट के समय में उनके तथा भारत सरकार के हाथों को मजबूत बनाया है।"

दूसरा पत्र जनरल चौधरी का इस प्रकार है :

"I write to thank you for a copy of the Resolution passed by the Legislative Assembly, which you have sent me. Please convey my thanks to the speaker and the Members of the Assembly for their kind appreciation of the work done by the Army."

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

श्रीमन् आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट में विधान सभा द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों के कार्यकाल के दिनांक १ दिसम्बर, १९६५ को समाप्त होने के कारण रिक्त स्थान पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा १७ की उपधारा (१) की श्रेणी ३ की मद (१६) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट में विधान सभा द्वारा निर्वाचित ५ सदस्यों के कार्यकाल के दिनांक १ दिसम्बर, १९६५ को समाप्त होने के कारण रिक्त स्थान पर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा १७ की उपधारा (१) की श्रेणी ३ की मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उप मन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

श्रीमन्. मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट में विधान सभा द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों के कार्यकाल के दिनांक ११ जनवरी, १९६६ को समाप्त होने के कारण रिक्त स्थान पर, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १६ की उपधारा (१) के खण्ड ३ की मद (१६) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट में विधान सभा द्वारा निर्वाचित ५ सदस्यों के कार्यकाल के दिनांक ११ जनवरी, १९६६ को समाप्त होने के कारण रिक्त स्थान पर, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १६ की उपधारा (१) के खन्ड ३ की मद (१६) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)—

श्रीमन्, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट में विधान सभा द्वारा निर्वाचित ५ सदस्यों के कार्यकाल के दिनांक १६ नवम्बर, १९६५ को समाप्त होने के कारण रिक्त स्थान पर गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (१७) के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट में विधान सभा द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों के कार्यकाल के दिनांक १६ नवम्बर, १९६५ को समाप्त होने के कारण रिक्त स्थान पर गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) के वर्ग ७ की मद (१७) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश पशु-रोग विधेयक, १९६५ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये १ सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पशु-रोग विधेयक, १९६५ पर नियुक्त उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति में विधान सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों में एक सदस्य, श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये श्री मेड़ी लाल रावत, सदस्य, विधान सभा उक्त समिति में कार्य करने के लिये निर्वाचित किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पशु रोग विधेयक, १९६५ पर नियुक्त उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति में विधान सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों में एक सदस्य, श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये श्री मेड़ी लाल रावत, सदस्य विधान सभा उक्त समिति में कार्य करने के लिये निर्वाचित किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन उत्तर प्रदेश में सर्व श्री जगदीशशरण अग्रवाल एवं बसन्त सिंह के कार्यकाल के दिनांक १२ सितम्बर, १९६६ को समाप्त होने के कारण रिक्त होने वाले स्थान पर इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के मद (एम) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश में सर्वश्री जगदीशशरण अग्रवाल एवं बसन्तसिंह के कार्यकाल के दिनांक १२ सितम्बर, १९६६ को समाप्त होने के कारण रिक्त होने वाले स्थान पर इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा ३ की उपधारा (१) के मद (एम) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसीदास—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से म उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९२–९३ पर)

उत्तर प्रदेश इन्टरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन म पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९४–९६ पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर राम नारायण पाण्डेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उपकुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६ पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नथी "ञ" आगे पृष्ठ ९७–९९ पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन १ बजकर ११ मिनट पर सोमवार, ३१ जनवरी, १९६६ को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२८ जनवरी, १९६६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४, ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५ पर)

स्थायी कलेक्शन अमीनों, लेखपालों तथा चपरासियों की संख्या

नाम तहसील	स्थायी कलेक्शन अमीन		स्थायी लेखपाल		स्थायी चपरासी	
	कुल संख्या	अनुसूचित जाति के अमीन	कुल संख्या	अनुसूचित जाति के लेखपाल	कुल संख्या	अनुसूचित जाति के चपरासी
१—फतेहपुर ..	३६	१	१२७	३	७०	८
२—बिन्दकी ..	३५	२	१०६	४	६०	११
३—खागा ..	२६	१	११४	२	५०	६
योग ..	९७	४	३४७	९	१८०	२५

प्रश्न संख्या ५

लिपिकों, कानूनगो तथा चपरासियों की कुल संख्या

नाम तहसील	लिपिक		कानूनगो		चपरासी	
	कुल संख्या	अनुसूचित जाति के लिपिक	कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कानूनगो	कुल संख्या	अनुसूचित जाति के चपरासी
१—फतेहपुर ..	२३	१	९	..	३५	१
२—बिन्दकी ..	१९	१	८	..	२६	२
३—खागा ..	१८	१	९	१	२५	१
योग ..	६०	३	२६	१	८६	४

उपर्युक्त २६ कानूनगो में १२ सुपरवाइजर कानूनगो (जिसमें १ अनुसूचित जाति का है)।

३ रजिस्ट्रार कानूनगो तथा ११ सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५६ पर)

राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष २७ जनवरी, १९६६ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष १९६६ क प्रथम सत्र म उत्तर प्रदश क राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास का अभिभाषण ।

श्री सभापति, श्री अध्यक्ष तथा विधान-मण्डल के सदस्यगण,

आज हम एक महान राष्ट्रीय विपत्ति के वातावरण में एकत्रित हुए हैं, । अपने प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री के निधन से राष्ट्र को जो महान क्षति हुई है उसका अनुमान लगाना असम्भव है । उन्होंने पाकिस्तान से संघर्ष के समय साहस और दृढ़ निश्चय के साथ राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करने के उपरान्त शान्ति के लिये प्रयास करते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया । दिवंगत आत्मा के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हममें से प्रत्येक अपने-अपने कार्य क्षेत्र में देश को सुदृढ़ और समृद्धिशाली बनाने में अधिक से अधिक योग दें ।

मैंने पिछली बार जब आपको सम्बोधित किया था तब से अब तक जो समय व्यतीत हुआ है वह पाकिस्तान से संघर्ष और खाद्य तथा आर्थिक समस्याओं के निरन्तर विद्यमान रहने के कारण कठिनाई और संकट से परिपूर्ण रहा है ।

हमारे राज्य को इस बात का गर्व है कि उसके अनेक सैन्य अधिकारी तथा जवान युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए । इस राज्य के ४३ अधिकारियों, २२ कनिष्ट कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा ५४५ अन्य श्रेणी के सैनिकों ने अपने जीवन की आहुति दी । अनेक को वीरता के लिये विभूषित किया गया जिनमें एक परम वीर चक्र तथा महावीर चक्र और वीर चक्र पाने वाले सम्मिलित हैं । राज्य उनके आश्रितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व के लिये पूर्णतया सजग है । नागरिक क्षेत्र में जनता भी इस परीक्षा में सफल रही है । जनता में बड़ा उत्साह रहा और पूर्ण रूप से साम्प्रदायिक शान्ति रही । औद्योगिक शान्ति बनी रही । लोक सेवकों ने प्रसन्नता पूर्वक अतिरिक्त कार्य का भार उठाया ।

पाकिस्तान से हाल ही के हमारे संघर्ष के समय हमने यह भी अनुभव किया कि खाद्यान्न के आयात पर निर्भरता से, जो परिस्थितिवश अनिवार्य थी, कितनी विषम स्थिति उत्पन्न हो सकती है । इस उद्देश्य से कि खाद्य के संबंध में, कम से कम समय में हम आत्म निर्भर हो सकें, सरकार ने इस वर्ष कुछ विशेष कार्यक्रम संचालित किये हैं । परन्तु दुर्भाग्यवश प्रकृति ने हमारा साथ सामान्य से कम दिया है । पिछली वर्षा देर से तथा अनिश्चित रूप से हुई जिसके कारण खरीफ का उत्पादन हमारी आशाओं से बहुत ही कम हुआ और रबी की फसल की सिंचाई के साधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । प्रायः सम्पूर्ण राज्य में जाड़े की वर्षा न होने के कारण रबी की फसल की प्रत्याशा और भी कम हो गयी है । जनता ने इस संकट का सामना बड़ी अच्छी तरह से किया है । अधिक अन्न उपजाने का आन्दोलन उत्साह के साथ चल रहा है और बहुत लोगों ने अपने उपभोग को भी कम कर दिया है ।

यह आशा की जाती है कि वर्ष १९६५–६६ में बड़ी और मध्यम योजनाओं के अन्तर्गत २.१८ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में, और अग्रगामी परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ४.३८ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई के सम्भाव्य साधन उपलब्ध हो जायेंगे । वर्ष १९६६–६७ में बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत १.१९ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि और लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ११.९५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये सम्भाव्य साधनों की व्यवस्था करने की आशा है । यह भी प्रयास किया जा रहा है कि सिंचाई के लिये बरसात का पानी जमा करने के उद्देश्य से यथासम्भव अधिक से अधिक जलाशय भी बनवा दिये जायें । एक पृथक नलकूप निदेशालय भी स्थापि

कर दिया गया है। हर एक नलकूप पर दो मील पक्की और तीन मील कच्ची गूलों की व्यवस्था करने के लिये जल-वितरण नालियों की वृद्धि की जा रही है। खेती के कार्यक्रमों के लिये १९६६–६७ की वार्षिक योजना में ३५.९० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं के लिये २०.८० करोड़ रुपये और बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये १४.५० करोड़ रुपये हैं। सिंचाई की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के साथ-साथ ६ लाख टन नाइट्रोजीनस उर्वरक और १.२० लाख टन फासफेटिक उर्वरक उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गयी है। चालू वर्ष में १५.५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में हरी खाद का प्रयोग किया जायगा और ३.०३ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में भूमि-संरक्षण कार्य किया जायगा। यह आशंका फिर भी है कि एसे कारणों से जिन पर हमारा कुछ भी बस नहीं है, रासायनिक उर्वरक का सम्भरण उतनी मात्रा में नहीं हो पायेगा जितनी कि हमें आवश्यकता है। अतएव, इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से खाद के स्थानीय साधनों को उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है और कम्पोस्ट खाद बनाने के लिये एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया है। इस वर्ष २१.१५ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि म उत्कृष्ट बीजों के प्रयोग करने का प्रस्ताव है। उन क्षेत्रों पर, जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत ही उत्तम है, प्रगाढ़रूप से ध्यान दिया जा रहा है और उनमें आगामी वर्ष में लगभग ६ लाख एकड़ क्षेत्र में अधिक पैदावार वाली किस्म के चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरे की फसलें पैदा करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, मूंगफली, केला, आलू तथा अन्य प्रकार की साग-सब्जी की सघन खेती के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। खरीफ की पैदावार की कमी को पूरा करने के लिये चालू रबी की फसल के दौरान अतिरिक्त क्षेत्र में दोहरी फसल पदा करने के लिये विशष प्रयत्न किये गये और आशा की जाती है कि उसके अन्तर्गत कम से कम अठारह लाख एकड़ भूमि आ जायगी। उन क्षेत्रों में जहां, सिंचाई की सुविधायें सुनिश्चित हैं, जल्दी तैयार होने वाली मक्का की फसल पैदा करने के लिये तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। यह भी प्रस्ताव है कि जायद साग-सब्जी, फलीदार बेलें, चारे की फसलें, जल्दी तैयार होने वाले अनाज, तरबूज, खरबूजा और इसी प्रकार के अन्य फलों के लिये क्षत्र बढ़ाया जाय।

इस कठिन खाद्य स्थिति के लिये केवल यही आवश्यक नहीं है कि खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किये जायें वरन् यह भी आवश्यक है कि प्राप्त खाद्यान्न का समुचित वितरण किया जाय। बड़ी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न की खपत को विनियमित करने के उद्देश्य से भारत सरकार का यह प्रस्ताव है कि उन सभी शहरों में परिनियत राशनिंग लागू की जाय, जिनकी आबादी एक लाख या उससे ऊपर है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने परनियत राशनिंग आरम्भ करने के लिये कानपुर को चुना है और यह प्रस्ताव है कि उसे वहां अगले महीने के मध्य से आरम्भ किया जाय।

चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक तृतीय योजना की अवधि पूरी हो जायगी। तृतीय योजना की सम्पूर्ण लागत में ४९७ करोड़ रुपये के मूल लक्ष्य से ६५ करोड़ रुपये अधिक की वृद्धि हो जाने की सम्भावना है। योजना के लिये ३४८ करोड़ रुपय की कद्रीय सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। साधनों की इस कमी को पूरा करने के लिये राज्य के अंशदान को और कर लगाकर, मितव्ययिता के उपायों, कर के बकायों की शीघ्र वसूली करके तथा अन्य साधनों से बढ़ाना पड़ा। तृतीय योजना की अवधि में लगाये गये अतिरिक्त करों से १०९ करोड़ रुपये के मूल प्रस्ताव के प्रतिकूल केवल ९० करोड़ रुपये मिलने की सम्भावना है।

रक्षा के लिये अधिक धनराशि नियत करने की आवश्यकता तथा विदेशों से मिलने वाली सहायता में अनिश्चितता के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। अतः आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एक तदर्थ वार्षिक योजना तैयार की गयी है जिसमें इस राज्य के लिये योजना की लागत १३४ करोड़ रुपया अनुमोदित की गयी है। इसमें केंद्रीय सहायता की धनराशि केवल ७९.५ करोड़ रुपया रखी गयी है। इस प्रकार केंद्रीय अंशदान की धनराशि, जो तृतीय योजना में लागत की लगभग ७० प्रतिशत थी, वह इस तदर्थ योजना में केवल ६० प्रतिशत है।

चतुर्थ वित्तीय आयोग, साधनों के वितरण के संबंध में अपनी सिफारिशें करते समय राज्य सरकार के इन विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ है कि आयकर और केंद्रीय ऐक्साइज की विभाज्य निधि का बंटवारा एकमात्र जन-संख्या के आधार पर किया जाना चाहिये। फिर भी उन्होंने आयकर और केंद्रीय ऐक्साइज की विभाज्य निधि में से इस राज्य को मिलने वाले भाग में कुछ हद तक वृद्धि की है। समग्र रूप से इस रिपोर्ट के आधार पर साधनों के वितरण से अगले पांच वर्ष की अवधि के दौरान इस राज्य के योजना ले भिन्न पक्ष के राजस्व घाटे के पूरे हो जाने की आशा है। लेकिन योजना की मदों के व्यय में राज्य के अंश को पूरा करने के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार इस वर्ष पहले से ही कुछ अतिरिक्त कर लगा चुकी है जिनसे आगामी वित्तीय वर्ष में १३ करोड़ रुपये के लगभग प्राप्त होने की आशा है। व्यय में कमी करने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। योजना के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने में खुले बाजार से ऋण तथा अल्प बचतों को अन्य मुख्य उपायों के रूप में काम में लाया जाता रहेगा।

१९६६–६७ की वार्षिक योजना में कृषि उत्पादन, निजी लघु सिंचाई, विद्युत, प्राविधिक शिक्षा तथा परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को प्रमुखता दी गयी है। उन कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है जिनमें प्रगति हो चुकी है और उनको भी जो शीघ्र फलदायी हैं।

चतुर्थ योजना के लिये अग्रिम कार्यक्रम के रूप में एक मूल्यांकन निदेशालय स्थापित किया गया है और मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् संघटित की गयी है। मूल्यांकन के लिये अनेक योजनायें चुन ली गयी हैं जिनमें से अधिकांश कृषि तथा उद्योग से संबंधित हैं।

सरकार बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये बराबर प्रयास करती रही है। दुर्भाग्यवश साधनों की स्थिति कठिन होने के कारण कार्य की प्रगति को धीमा करना पड़ा है। किन्तु इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि उन परियोजनाओं तथा योजनाओं में जिनमें प्रगति हो चुकी है, किसी प्रकार की रुकावट न हो। निजी नलकूपों तथा पंपिंग सेटों के विद्युतीकरण के लिये सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है।

सरकार राज्य के शीघ्र औद्योगीकरण के लिये निरन्तर प्रयास कर रही है। नैनी, जिला इलाहाबाद में, केंद्रीय पब्लिक सेक्टर में एक हैवी ड्यूटी पम्प्स एवं कम्प्रेसर्स प्रोजेक्ट, एक हैवी स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, एक रेलवे स्टील कास्टिंग फाउन्ड्री और एक रेलवे वैगन बिल्डिंग फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव है। रक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एक्सीलरेटेड फ्रीज ड्राइंग मीट फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। कानपुर में ३० करोड़ रुपये की लागत से एक उर्वरक कारखाना प्राइवेट सेक्टर में स्थापित करने का प्रयास है।

सरकार औद्योगिक श्रमिकों की आवास समस्या को सुलझाने के लिये कार्यवाही करती रही है। भारत सरकार की सहायता प्राप्त औद्योगिक आवासिक योजना के अन्तर्गत, अब तक २७,००० से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है और अगली योजना में लगभग ७,५०० नये मकानों को बनाने का प्रस्ताव है। सरकार ऐसे विधायन के लिये भी विचार कर रही है जिसके द्वारा ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक संबंधों से संबद्ध कानून में संशोधन किया जा सके। वह कदाचित् निकट भविष्य में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

खेती के अधिक पैदावार के साथ-साथ वनों के संरक्षण और उनके विकास की समस्यायें भी जुड़ी हुई हैं। यह आशा की जाती है कि वनरोपण के संबंध में निर्धारित लक्ष्य को केवल प्राप्त ही नहीं होगी, वरन् कुछ मामलों में कार्य उससे भी अधिक हो जायगा।

तृतीय योजना में जितनी सड़कों और पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक सड़कें और पुल बनाये गये हैं और निर्धारित व्यय से अधिक व्यय हो सका है। इलाहाबाद में गंगा नदी पर, और भिंड–इटावा रोड पर चम्बल और यमुना नदी के ऊपर नये पुल बनाये जा रहे हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बहुत ही कम समय में कुम्भ मेले के लिये एक करोड़ रुपय की लागत से भी अधिक का निर्माण-कार्य किया है। कुम्भ क्षेत्र में गंगा नदी के ऊपर ६ पौन्टून पुल बनाये गये, जिनमें दो ऐसे पुल भी सम्मिलित हैं जिन पर से लदे हुए भारी बोझ वाले ट्रक निकल सकते हैं। शासन को इस वर्ष सबसे अधिक यात्रियों का प्रबन्ध करना पड़ा। ऐसा अनुमान है कि मौनी अमावस्या के मुख्य स्नान पर्व के अवसर पर लगभग सत्तर लाख व्यक्तियों ने गंगा स्नान किया। सफाई, यातायात तथा प्रशासकीय प्रबन्ध आवश्यकताओं के अनुसार रहे और सौभाग्यवश न कोई उल्लेखनीय दुर्घटना हुई और न महामारी ही फैली।

इस वर्ष सहकारिता आन्दोलन में निरन्तर प्रगति होती रही। सहकारी संस्थायें दूध और अनाज की पैदावार को बढ़ाने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने में प्रमुख कार्य कर रही हैं। सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन के बन जाने से उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को बल मिल रहा है।

सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद, कृषि महाविद्यालयों और माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के पुनर्गठन पर भी ध्यान दे रही है। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकवर्ग तथा अन्य कर्मचारिवर्ग की दशा को सुधारने के लिये उन्हे दिनांक १ अगस्त,१९६५ से २० रुपये माहवार की सामान्य तदर्थ वृद्धि दी गयी है।

हमारे बहादुर जवानों की पत्नियों, बच्चों तथा अन्य आश्रितों एवं परिजनों को भी शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों से विभिन्न प्रकार की छूटें दी गयी हैं और उन्हें छात्रवृत्तियां तथा अन्य लाभ प्रदान किये गये हैं।

सरकार, हरिजन कल्याण योजनाओं में लगातार विशेष रुचि लेती रही है। अनुसूचित जाति के लोगों को सभी स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क छात्रावास की सुविधायें दी जा रही हैं तथा हरिजन बस्तियों में प्राथमिक और रात्रि पाठशालाएं तथा पुस्तकालय चलाये जा रहे हैं। हरिजन छात्रों के लिये भूतपूर्व आर्यनगर बस्ती, लखनऊ में एक पालीटेक्निक भी खोला गया है।

नये चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। ऐसी आशा है कि मेरठ के चिकत्सा महाविद्यालय में शिक्षण कार्य अगले सत्र से शुरू हो जायगा। झांसी और गोरखपुर में भी चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के बारे में प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष १९६६–६७ की योजना में प्राविधिक शिक्षा को उचित महत्व दिया गया है और इसके लिये २.३३ करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी है।

जापान के कुष्ठ मिशन की सहायता से आगरा में एक कुष्ठ चिकित्सा, पुनर्वास, शिक्षण तथा शोध केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। क्षय रोग को रोकथाम करने की दिशा में भी काफी प्रगति हुयी है और राज्य के ५१ जिलों में अधिवासिक चिकित्सा के लिये क्लिनिक खोले गये हैं।

लैन्ड एक्विजीशन ऐक्ट के अधीन अर्जित भूमि का प्रतिकर देने के सम्बन्ध में भी नियमों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उक्त ऐक्ट के अधीन जो प्रतिकर अवधारित किया जाय वह बाजार में भूमि के प्रचलित मूल्य के समकक्ष हो।

राज्य में खेल-कूद का विकास करने में सरकार बराबर पर्याप्त ध्यान देती रही है और हाल ही में उसने उत्तर काशी में एक पर्वतारोहण संस्था स्थापित की है।

भ्रष्टाचार रोकने और उसे समाप्त करके एक स्वच्छ और कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने के प्रति सरकार पूरी तरह से सजग है। वर्ष १९६४–६५ के लिये सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत की जायगी।

वर्ष १९६५–६६ के लिये अनुपूरक मांगों की दूसरी किस्त तथा वर्ष १९६६–६७ के लिये वार्षिक वित्तीय विवरण शीघ्र ही आपके सामने विचारार्थ और उससे संबंधित मांगों पर मतदान देने तथा विनियोग विधेयक पारित करने के लिये प्रस्तुत किया जायगा। आपके सामने पहले से लम्बित विधेयकों के तथा उन अध्यादेशों को जो स्थिति विशेष का मुकाबला करने के लिले मेरे द्वारा उस समय प्रख्यापित किये गये थे जब विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, प्रतिस्थापित करने के विधायनों के अतिरिक्त, सरकार कदाचित कुछ अन्य विधायी कार्य भी इस सत्र में आपके विचार के लिये रखेगी।

मैंने उन समस्याओं का जिनका सामना राज्य को करना पड़ रहा है, और राज्य के कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलापों का तथा उस कार्य का जो सम्पन्न होना है, संक्षेप में उल्लेख किया है। आपको इस सत्र में राज्य के विभिन्न कार्यकलापों को विस्तारपूर्वक जानने और उन पर विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आगामी सामान्य निर्वाचन के पूर्व आपके कार्यभार के अन्तिम वर्ष के लिये आपका स्वागत करता हूं और इस आशा से अपना अभिभाषण समाप्त करता हूं कि आप, विधान मंडल के सदस्यगण, राज्य के लोगों के उत्थान के लिये अपने परिपक्व अनुभव से प्रयास करते रहेंगे।

जय हिन्द

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६१ पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

१—खण्ड ४ की उपान्तीय टिप्पणी में "धारा ८" के स्थान पर "धारा ८-क" रख दिया गया है।

२—खण्ड ४ में प्रस्तावित नयी धारा ८-क में प्रयुक्त शब्द "प्रमुख या सदस्य" के स्थान पर शब्द "सदस्य या प्रमुख" रख दिये गये हैं।

३—खण्ड ५ की प्रस्तावित नई उपधारा (४-क) की प्रथम पंक्ति में शब्द "घंटा" के स्थान पर शब्द "घंटे" रख दिया गया है।

४—खण्ड ५ के उपखंड (२) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "छोड़कर" के पश्चात" चिन्ह ", " जोड़ दिया गया है।

५—खण्ड ५ के उपखंड (३) में शब्द "प्रस्तुत किया जायगा" तथा "निम्नलिखित" के बीच शब्द "के स्थान पर" को हटा कर उनके स्थान पर शब्द "के पश्चात" रख दियें गये हैं।

६—खण्ड ७ के उपखंड (१) की नई प्रस्तावित उपधारा (४-ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "घंटा" के स्थान पर शब्द "घंटे" रख दिया गया है।

७—खण्ड १० के उपखंड (४) में प्रस्तावित उपधारा (३-ख) के पूर्व चिन्ह "हटा दिया गया है।

८—खण्ड १० के उपखण्ड (४) में प्रस्तावित उपधारा (३-ख) के भाग (ग) की प्रथम पंक्ति के अन्त में चिन्ह" ; " के स्थान पर चिन्ह "," रख दिया गया है।

९—खण्ड ११ में मूल अधिनियम की धारा ४३ की प्रस्तावित उपधारा (३) के भाग (क) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "की" के स्थान पर शब्द "के" रख दिया गया है।

१०—खण्ड १३ की प्रथम पंक्ति में चिन्ह "को शब्द "में" के पूर्व से हटा कर शब्द "परिषद्" के पूर्व रख दिया गया है, तथा इसी खण्ड की द्वितीय पंक्ति में शब्द "परिषद्" के स्थान पर शब्द "परिषद्" रख दिया गया है।

११—खण्ड १३ की पंक्ति ३ में शब्द "के" के स्थान पर शब्द "का" रख दिया है तथा इसी खण्ड की अन्तिम पंक्ति में "दिए" के स्थान पर शब्द "दिये" रख दिया गया है।

१२—खण्ड २ में मूल अधिनियम की धारा ५ की प्रस्तावित नयी उपधारा (३) की पंक्ति ३ में शब्द "प्रदेश" और "समिति" के बीच शब्द "क्षेत्र" जोड़ दिया गया है।

१३—खण्ड १० के भाग (४) में प्रस्तावित उपधारा (३-क) के अन्त में चिन्ह सेमिकोलन के स्थान पर चिन्ह पूर्ण विराम रख दिया गया है।

१४—खण्ड १३ की पंक्ति २ में शब्द "सेवक" तथा शब्द "के" बीच का चिन्ह " , " हटा दिया गया है।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६२ पर)

उत्तर प्रदेश इण्टरटेनमेंट्स ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची

१—प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति में शब्द "इन्टरटेनमेंट" के स्थान पर शब्द "इन्टरटेनमेन्ट्स" रख दिया गया है, शब्द "का" के स्थान पर शब्द "में" रख दिया गया तथा शब्द "प्रयोजनों" के स्थान पर शब्द "प्रयोजन" रख दिया गया है ।

२—प्रस्तावना के अन्त में चिन्ह "।" के स्थान पर चिन्ह " :— " रख दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६२ पर)

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र भूमि और भवन-कर) (संशोधन विधेयक, १९६५) में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची ।

१—खण्ड २ के भाग (ख) में प्रस्तावित नये खण्ड (११-क) के भाग (४) की पंक्ति २ में शब्द "धातु" के पूर्व का कोष्ठक हटा दिया गया है तथा पंक्ति ३ में शब्द "पर" के बाद का कोष्ठक भी हटा दिया गया है, तथा इसी पंक्ति में प्रयुक्त कामा को हटा कर उसे पंक्ति २ में शब्द "करने"" के बाद रख दिया गया है ।

२—खण्ड २ के भाग (ख) के प्रस्तावित नये खंड (११-क) के भाग (४) की पंक्ति ४ में शब्द "करने" के बाद चिन्ह ",—" रख दिये गये हैं, तथा शब्द "के लिए हो" नयी पंक्ति में रख दिये गये हैं ।

३—खण्ड ३ में मूल अधिनियम की धारा (३) की उपधारा (१) के प्रस्तावित अंश के भाग (१) में शब्द "भूमि" के स्थान पर शब्द "भू" रख दिया गया है तथा इसी अंश के भाग (२) की पंक्ति में शब्द "इविक्शन " के स्थान पर शब्द "एविक्शन" रख दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६२ पर)

उत्तर प्रदेश वृत्ति, आजीविका और सेवा-योजन कर विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधन ।

१—खण्ड २ के भाग (६) के अन्त में चिन्ह "।" के स्थान पर चिन्ह ":" रख दिया गया है।

२—खण्ड २ के भाग (९) के प्रारम्भ में शब्द "किसी" जोड़ दिया गया है ।

३—खण्ड २ के भाग (१२) की पंक्ति २ में शब्द "कृषि से भिन्न" इसी पंक्ति में शब्द "या" और "आजीविका" के बीच में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ।

४—खण्ड ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "में" और "राज्य" के बीच शब्द "पूर्णता या अंशतः" जोड़ दिये गये हैं तथा पंक्ति ३ में शब्द "कृषि से भिन्न" शब्द "या" और "आजीविका" के बीच में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ।

५—खण्ड ३ की पंक्ति ३ में से शब्द "पूर्णतः या अंशत" हटा दिये गये हैं तथा पंक्ति ६ में शब्द "में" के पश्चात् और पंक्ति ७ में शब्द "अतिरिक्त" के पश्चात् एक एक चिन्ह कामा (,) बढ़ा दिया गया है ।

६—खण्ड ५ के उपखण्ड (३) के पार्श्व में शब्द "कर से मुक्ति" उपन्तीय टिप्पणी के रूप में बढ़ा दिये गये हैं।

७—खण्ड ५ के उपखण्ड (३) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द "रुपया" के स्थान पर शब्द "रुपये" रख दिया गया है ।

८—खण्ड १६ के उपखण्ड (३) की पंक्ति २ में शब्द "जिसका" में स्थान पर शब्द "जिससे" रख दिया गया है ।

९—खण्ड १९ की पंक्ति ५ में शब्द "करेगा" के स्थान पर शब्द "कर सकेगा" रख दिये गये हैं ।

१०—खण्ड २० के उपखण्ड (२) को प्रथम पंक्ति में शब्द "की" के स्थान पर शब्द "के" रख दिया गया है ।

११—खण्ड २२ की पंक्ति २ में शब्द "के" के बाद का चिन्ह कामा हटा दिया गया है तथा इसी पंक्ति में शब्द "मंगा" के स्थान पर शब्द "मांग" रख दिया गया है ।

१२—खण्ड २३ के उपखण्ड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "अधिकारी" के स्थान पर शब्द "प्राधिकारी" रख दिया गया है ।

१३—खण्ड २४ के उपखण्ड (२) के भाग (घ) को प्रथम पंक्ति में से शब्द "ही" हटा दिया गया है ।

१४—खण्ड ३ की पंक्ति ३ में शब्द "वृत्ति" तथा "या" के बीच में शब्द "करता हो" जोड़ दिये गये हैं।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६२ पर)

उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपातिक अधिभार विधेयक, १९६५ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची ।

१—खण्ड २ की प्रथम पंक्ति में शब्द "हो" तथा "इस" के बीच में चिन्ह " , " बढ़ा दिया गया है ।

२—खण्ड २ के भाग (१) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "गुजारेदार" तथा "है" के बीच में शब्द "से" बढ़ा दिया गया है ।

३—खण्ड २ के भाग (७) की प्रथम पंक्ति में शब्द "टनेन्सी" के स्थान पर शब्द "टेनेन्सी" रख दिया गया है ।

४—खण्ड ३ के उपखंड (१) के भाग (क) (ख) व (ग) में शब्द "के विषय" के स्थान पर शब्द "की दशा" रख दिये गये हैं ।

५—खण्ड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के भाग (२) की प्रथम पंक्ति का अन्तिम शब्द "के" हटा दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७९ पर)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या २८, १९४७

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ में आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त और संशोधन करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या २८, १९४७ की धारा ४—क का संशोधन

२—संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४-क की उपधारा (३) में वर्तमान खण्ड (क) और (ख) के अक्षर बदलकर उन्हें क्रमशः खण्ड (घ) और (ङ.) कर दिये जायें और इस प्रकार बदले गये अक्षर (घ) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्—

"(क) वह तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक जिला जज न रहा हो;

(ख) उसने दो वर्षों से अन्यून अवधि तक इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स (एपीलेट ट्राइब्यूनल) ऐक्ट, १९५० के अधीन संघटित श्रम अपील न्यायाधिकरण (लेबर एपीलेट ट्राइब्युनल) के या किसी न्यायाधिकरण के चेयरमैन अथवा किसी अन्य सदस्य का पद न ग्रहण किया हो; अथवा

(ग) वह पांच वर्षों से अन्यून अवधि तक किसी प्रान्तीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अधीन संघटित श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी न रहा हो; अथवा"

धारा ४—ख का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४-ख की उपधारा (३) में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(कक) वह तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक जिला जज या अपर जिला जज न रहा हो; अथवा"

धारा ४—ङ. का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ४—ङ. की उपधारा (१) में खण्ड (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् —

"(५) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो किसी लोक सेवा आयोग का सदस्य हो अथवा रहा हो।"

निरसन तथा अपवाद

५—(१) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या ९, १९६५

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियन के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम २४ दिसम्बर, १९६५ को प्रारम्भ हुआ था:

उद्देश्य और कारण

इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट, १९४७ की धाराएं ७ और ७-ए जिसमें श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों की अर्हताएं नियत की गयी हैं, इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९६४ द्वारा संशोधित कर दी गयी हैं। अतएव, यह इष्टकर समझा गया है कि इसी प्रकार के संशोधन संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ की धारा क–४ से ४–घ में भी कर दिये जायें जिससे कि केन्द्रीय ऐक्ट में नियत वैकल्पिक अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अन्तर्गत पात्र हो जायं। चूंकि संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट, २८/१९४७ की धारा ४—ङ में उल्लिखित समिति के संघटन में कठिनाई का अनुभव हुआ है, इसलिये इस अवसर पर उपयोग उक्त धारा में भी संशोधन करने के लिए किया जा रहा है। तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

बनारसी दास,
श्रम मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७९ पर)

उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६

यू० पी० इण्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को आगे दिये हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९२१ की धारा १६-जी का संशोधन

२—यू० पी० इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १६—जी की उपधारा (३) में—

(१) खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात—

"(सी) कोई पक्ष, खंड (बी) के अधीन किसी निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध, चाहे वह उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, आदेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के भीतर संभागीय शिक्षा उप निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, और संभागीय उपनिदेशाक, ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हों, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है ;"

(२) खण्ड (डी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय अर्थात्:

"(डी) खण्ड (सी) के अधीन जैसा कि वह उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व था, प्रस्तुत की गयी सभी अपीलें जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व निर्णय के लिए विचाराधीन थीं, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (सी) के अनुसार संभागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा निर्णीत की जायेंगी।"

नयी धारा २१ और २२ का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा २० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारायें बढ़ा दी जायें अर्थात्—

सद्भावना से किये गये कार्य आदि के लिए संरक्षण

"२१—राज्य सरकार बोर्ड या उसकी किसी समिति अथवा बोर्ड या किसी समिति के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत हो।"

दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक

"२२—इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश अथवा निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।"

४—(१) उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट. एजूकेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। निरसन तथा अपवाद

(१) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २४ दिसम्बर, १९६५ को प्रारम्भ हो गया हो।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

यू० पी० इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ की धारा १६—जी (३) के अधीन संभागीय अपीलीय समितियों में, जिन्हें अध्यापकों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रबंधकों के बीच विवादों को निपटाने का अधिकार था संभागीय शिक्षा उप निदेशक और यू० पी० स्कूल मैनेजर्स एसोसियेशन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रतिनिधि होते थे। चूंकि संभागीय अपीलीय समितियों के कार्य संचालन में कठिनाइयां अनुभव हुईं, इसलिए इन समितियों को समाप्त करना और उनके अधिकारों का केवल संभागीय शिक्षा उप निदेशकों को सौंपना आवश्यक समझा गया। अतएव २४ दिसम्बर, १९६५ को उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ प्रख्यापित किया गया था और यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है।

२—इस उद्देश्य से कि अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश तथा राज्य सरकार द्वारा सम्भावना से किये गये कार्यों को संरक्षण दिया जा सका, यह आवश्यक समझा गया कि अधिनियम में इस अशय की उचित व्यवस्था की जाय। इसी प्रकार के उपबन्ध परिनियत निकायों से सम्बद्ध अधिनियमितियों में हैं।

तदनुसार, विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

कैलाश प्रकाश,
शिक्षा मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८० पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप कुलपतियों की नियुक्ति) संशोधन तथा वैधीकरण विधेयक, १९६६

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२०, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६, तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ के कतिपय उपबन्धों को संशोधित करने के लिये उक्त अधिनियमों के अधीन की गयी कुलपतियों की नियुक्ति को मान्य करने के लिये और उनसे सम्बद्ध प्रासंगिक प्रयोजनों के लिये

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६
यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९२१
यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९२०
उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६
उ० प्र० अधिनियम संख्या २९, १९५६

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप-कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

२—निम्नलिखित प्रत्येक अधिनियमिति, अर्थात्—

(क) आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ९ — यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९२६

(ख) इलाहाबाद यूनवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा ११, — यू० पी० ऐक्ट संख्य ३, १९२१

(ग) लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२० की धारा १०, — यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९२०,

(घ) गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १३, — उ० प्र० अधिनियम संख्या २०, १९५६ और

(ङ.) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १२ (जिन्हें आगे मूल अधिनियमितियां कहा गया है) की उपधारा (४) में—

(१) खंड (१) के, यथास्थिति, उपखंड (बी) या उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय:— — उ० प्र० अधिनियम संख्या २८, १९५६ में उप-कुलपतियों की नियुक्ति से सम्बद्ध उपबन्धों का संशोधन।

"(ख) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो उक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है, या रहा हो, और, "तथा

(२) खंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय:—

"(३) समिति के सदस्यों में केवल कोई रिक्ति अथवा रिक्तियां होने के कारण अथवा उसकी कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भाग लेने के कारण जिसे बाद में ऐसा करने के लिये हकदार न पाया जाय, उसका कोई कार्य अथवा कार्यवाही अवैध न होगी।"

समझा जाना और वैधीकरण

३—(१) किसी न्यायालय किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुये भी—

(क) मूल अधिनियमितियों में अभिदिष्ट विभिन्न समितियों में काम करने के लिये उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा किया गया अपना ही नाम निर्देशन,

(ख) उक्त समितियों के द्वारा आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयों तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति को उक्त विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की नियुक्ति के लिये विभिन्न व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करना, और

(ग) कुलपति द्वारा १७ अप्रैल, १९६५, २८ फरवरी, १९६५ और ८ दिसम्बर, १९६२ को उक्त विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की विभिन्न नियुक्तियां,

इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमितियों के उपबन्धों के अधीन की गयी और वैध समझी जायगी और सदैव से वैध रही समझी जायगी।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी उपकुलपति द्वारा किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई बात उक्त उपधारा म अभिदिष्ट, किसी समिति के संघटन में किसी दोष के अथवा उस उप-कुलपति की नियुक्ति में किसी आनुषंगिक दोष के कारण ही न तो अवैध समझी जायगी और न कभी अवैध रही समझी जायगी।

निरसन तथा अपवाद

४—(१) उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप-कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, १९६५ को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी यह अधिनियम ४ दिसम्बर, १९६५ को प्रारम्भ हो गया हो।

उद्देश्य और कारण

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट की धारा ११ के अधीन एक समिति संगठित की जाती है जो उप कुलपति की नियुक्ति के लिये कुलपति की नामों की एक सूची प्रस्तुत करती है। उक्त समिति के सदस्यों में से एक सदस्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट उक्त न्यायालय का एक न्यायाधिपति होता है। मुख्य न्यायाधिपति ने उस समिति में स्वयं अपने को नाम-निर्दिष्ट कर लिया था। इस बात को एकत्व न्यायाधिपति ने, जिसके समक्ष समिति के संघटन के विरुद्ध रिट याचिका दायर की गयी थी, मान लिया था, किन्तु अपील पर डिवीजन, बेंच ने नाम---निर्देशन को अवैध घोषित कर दिया। समिति का दूसरा सदस्य कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि कार्य-कारिणी परिषद् की वह बैठक, जिसमें परिषद् ने अपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया था, उचित प्रकार से नहीं बुलायी गयी थी। जिसका परिणाम यह हुआ कि उच्च न्यायालय ने उप-कुलपति की नियुक्ति को अवैध ठहराया। इस निर्णय का दूरव्यापी प्रभाव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के वर्तमान पदधारी के कार्यों पर तथा लखनऊ, आगरा, गोरखपुर विश्वविद्यालयों तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के उप-कुलपतियों के कार्यों पर भी पड़ता। इसलिये इन विश्वविद्यालयों के अधिनियमों का संशोधन करके वर्तमान उप-कुलपतियों की नियुक्ति को भूतलक्षी दिनांक से, अर्थात् उनकी अपनी-अपनी नियुक्ति के दिनांक से तुरन्त वैध ठहराने और इस प्रकार उनके द्वारा अब तक किये गये कार्यों को वैधता प्रदान करने के लिये एक अध्यादेश ख्यापित करना आवश्यक हो गया।

तदनुसार उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप-कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९६६ पुरः स्थापित किया जाता है।

कैलाश प्रकाश,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १८७ एल० ए०—१९६६—८६२।